31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां

टिप्पणी संख्या ''1''

(क) निगमित सूचना

एअर इंडिया लि. विलयित कंपनी का प्रतिनिधित्व करती है जोकि पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लि. और पूर्व एअर इंडिया लि. के दिनांक 1 अप्रैल, 2007 को हुए विलय के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई है। विलयित कंपनी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) के नाम से जानी जाती थी। दिनांक 24.11.2010 से कंपनी का नाम बदलकर ''एअर इंडिया लि.'' कर दिया गया। कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी के विमान बेड़े में विमानों की व्यापक रेंज उपलब्ध है जिसमें मुख्य रूप से एयरबस और बोइंग विमान जैसे ए–319, ए–320, ए–321, बी–747, बी–777 तथा बी–787 विमान सम्मिलित हैं। एयरलाइन उद्योग सामान्यतः कड़ी प्रतिस्पर्धा, आर्थिक मंदी और उच्च ईंधन लागत से प्रभावित रहा है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने अपने प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक टर्न अराउंड योजना (टीएपी) और वित्तीय पुनः संरचना योजना (एफआरपी) को अपनाया/कार्यान्वित किया है। तदनुसार, भारत सरकार कंपनी में टीएपी/एफआरपी के रूप में निधियां डालती है। संशोधित टर्नअराउंड योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत अनुकूल बाजार परिदृश्य तथा ईंधन लागत में कमी को देखते हुए लाभप्रदता के लक्ष्यों को दो वर्ष पहले प्राप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(ख) लेखा परिपाटी

i) गणना का आधार

यह वित्तीय विवरण, मूल लागत रीतियों के तहत प्रोद्भूत आधार पर (स्पष्ट किए गए कथन को छोड़कर), गोईंग कन्सर्न अवधारणा पर तैयार किए गए हैं तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा उसके साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में उल्लिखित लेखा मानकों का अनुसरण करते हैं।

ii) आकलनों का उपयोग

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन को उन आकलनों और मान्यताओं को निर्धारित करना अपेक्षित होता है जो वित्तीय विवरण की तिथि के दिन परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की राशि तथा आकस्मिक देयताओं की प्रस्तुति और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की गई राशि को प्रभावित करते हैं। जिस अवधि में परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं उसी समय वास्तविक परिणाम और आकलनों के बीच का अंतर भी पता चल पाता है।

iii) प्रचालन चक्र

सेवा सेक्टर में होने के कारण कोई निर्धारित प्रचालन चक्र नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल–III के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को 'प्रचालन चक्र' के रूप में अपनाया गया है।

ग. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां

1) स्थिर परिसंपत्तियां

i) क) स्थिर परिसंपत्तियों (प्रमुख संघटक सहित) को खरीद मूल्य पर दर्शाया जाता है जिसमें स्थिर परिसंपत्तियों के अर्जन तथा उसके उपयोग के लिए उन्हें स्थान पर ले जाने के लिए लगी आकस्मिक लागत तथा संबंधित स्थिर परिसंपत्तियों का उपयोग करने की तिथि तक लिए गए ऋणों, जहां लागू हो, पर देय ब्याज शामिल है।

ख) विमानों के रोटेबल्स/रिपेयरेबल्स को स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

ii) दक्षता/जीवन चक्र को बढ़ाने के उद्देश्य से विमानों में किए गए प्रमुख आधुनिकीकरण/परिवर्तन/रूपांतरण पर होने वाले व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

iii) लीज़ पर ली गई स्थिर परिसंपत्तियां अधिकतर जिनके स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ कंपनी को स्थानांतरित हो जाते हैं, उन्हें वित्तीय लीज़ के रूप में लिया जाता है और पूंजीकृत किया जाता है।

iv) परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाता है ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन हर दो वर्ष में एक बार हो जाए तथा सत्यापन के समय पाई गई विसंगतियों को उसी वर्ष में समायोजित कर दिया जाता है जिस वर्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो।

v) ''विक्रय के लिए रखी गई स्थिर परिसंपत्तियां''

विक्रय के इरादे से रखी गई स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में स्थिर परिसंपत्ति के निवल बुक मूल्य को स्थिर परिसंपत्तियों के ब्लॉक से ''विक्रय के लिए रखी गई स्थिर परिसंपत्तियों'' में स्थानांतरित किया जाता है तथा जब विक्रय की अधिक संभावना हो तो उसे चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि स्थिर परिसंपत्ति का विक्रय मूल्य इसकी लागत से ज्यादा हो तो कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता।

2. मूल्यह्रास/परिशोधन

(क) सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत परिसंपत्तियों के उपयोग की आयु पर मूल लागत के 5% अवशिष्ट मूल्य को छोड़कर, स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर लगाया जाता है। इसमें निम्नलिखित परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, क्योंकि अनुसूची– II में इनकी आयु निर्धारित नहीं की गई है तथा यह मूल लागत के 5% अवशिष्ट मूल्य को छोड़कर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है।

i) रोटेबल्स

– एयरबस श्रेणी से संबंधित विमान रोटेबल्स पर संबंधित इंजीनियरी बेस के विमान बेड़े के शेष औसत उपयोगी जीवन पर खरीद के संबद्ध वर्ष से मूल्य का मूल्यह्रास लगाया जाता है।

– बोइंग से संबंधित विमान रोटेबल्स पर संबधित विमान बेड़े के शेष औसत उपयोगी जीवन पर खरीद के संबद्ध वर्ष से मूल्य का मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ii) "रोटेबल्स" तथा "अन्य स्थिर परिसंपत्तियों" में वृद्धि पर मूल्यह्रास अर्जन के वर्ष में पूरे वर्ष के लिए लगाया जाता है तथा निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता।

iii) यदि विमान रिपेयरेबल्स को पहले स्क्रैप नहीं किया है तो उन्हें उनकी खरीद की तिथि से 10 वर्षों (माइग्रेशन के उपरांत की स्थिति में अर्थात् बोइंग की रिपेयरेबल्स 28 मई, 2012 के बाद होनी हो तथा एयरबस की रिपेयरेबल्स 25 नवम्बर, 2012 के बाद होनी हो) तथा 5 वर्षों (माइग्रेशन से पूर्व) की अवधि के बाद परिशोधित किया जाएगा।

(ख) लीज़ पर ली गई परिसंपत्तियों पर किए गए प्रमुख परिवर्तनों/नवीनीकरण, आधुनिकीकरण/रूपांतरण को लीज़धारी परिसंपत्तियों में सुधार के तहत दर्शाया जाता है तथा उसका लीज़ अवधि में परिशोधन कर लिया जाता है।

(ग) निरंतर चलने वाली लीज़ के अतिरिक्त, लीज़धारी भूमि का परिशोधन, लीज़ अवधि में कर लिया जाता है।

(घ) ऐसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां, जिनकी उपयोगी किफायती लाइफ होती है, उनका परिशोधन अनुमानित उपयोगी समय में कर लिया जाता है, यात्री सेवा प्रणाली के साफ्टवेयर का 10 वर्षों के लिए तथा अन्य का 5 वर्षों के लिए।

(ड.) लेखा मानक की अपेक्षानुसार ''विक्रय के लिए रखी गई परिसंपत्तियों'' पर कोई मूल्यह्रास लगाया जाना अपेक्षित नहीं है।

3. निवेश

(क) दीर्घकालिक निवेश लागत में से कीमतों में आई स्थायी कमी (यदि कोई है) को घटाकर दिखाया जाता है।

(ख) सहायक कंपनियों पर निवेशों को दीर्घकालिक निवेश माना जाता है तथा उनका मूल्यांकन समलागत पर किया जाता है। मूल्य में कमी को स्थायी तभी माना जाता है जब निवेश के मूल्य को इसके वास्तविक अंकित मूल्य के बराबर पुनः प्राप्त करने की संभावना बहुत कम हो जाती है।

(ग) वर्तमान निवेश लागत से कम तथा निष्पक्ष बाज़ार मूल्य पर आंके जाते हैं।

4. इनवेंटरी

i) इनवेंटरी भारित औसतन लागत पर दर्शाई जाती है। तथापि, वर्ष के अंत में विमान में विमान टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की लागत को अंतिम विद्यमान दर पर दर्शाया जाता है।

ii) विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कलपुर्जों को जारी करने के प्रारम्भिक समय पर प्रभारित किया जाता है। इसमें वे कलपुर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो मरम्मत योग्य कलपुर्जों की मरम्मत के लिए होते हैं और जिन्हें वर्क आर्डर समाप्त हो जाने पर खरीदा जाता है।

iii) विमान भंडार और हिस्से–पुर्जों के लिए अप्रचलन की व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

क) नीचे दिए गए (ख) एवं (ग) को छोड़कर पांच वर्ष से अधिक समय के लिए (5 प्रतिशत की वसूली योग्य निवल राशि के बराबर) अचल रहने वाली इनवेंटरी हेतु प्रावधान किया गया है तथा इसको इनवेंटरी के मूल्य से हटा दिया गया है।

ख) फेज़ आउट किए गए विमान बेड़े की इनवेंटरी को तब तक अनुमानित विक्रय योग्य दर्शाया जाता है जब तक कि उसका उपयोग किसी अन्य विमान में न किया जा सकता हो।

ग) विशेष रूप से ड्राई/वेट लीज़ पर लिए गए विमानों से संबंधित इनवेंटरीज की अप्रचलन व्यवस्था, वर्ष के अंत में कुल लीज़ अवधि की तुलना में पूरी की गई लीज़ अवधि के आधार पर की जाती है।

iv) गैर–वैमानिकी भंडार और हिस्से–पुर्जों की पांच वर्षों से अधिक समय तक अचल रहने वाली इनवेंटरी के लिए अप्रचलन प्रावधान किए गए हैं।

v) स्क्रैप किए गए विमानों के कैनिब्लाइजेशन से प्राप्त पुर्जों को शून्य मूल्य पर स्टॉक माना गया है।

5. **निर्माता ऋण**

निर्माता ऋण हकदारी देयताओं की गणना उसे 'अग्रिमों' के रूप में लेकर प्रोद्भवन आधार पर ''आकस्मिक राजस्व'' के रूप में की गई है जिसे तब समायोजित किया जाता है जब ऐसी हकदारी देयताओं को स्थिर परिसंपत्तियों के अर्जन अथवा व्यय के वहन के लिए देयताओं को अदा करने के लिए उपयोग किया जाता है।

6. **राजस्व निर्धारण**

(क) यात्री, कार्गो तथा मेल राजस्व की पहचान वहन सेवा प्रदान करने पर ही की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, प्रयोग में नहीं लाई गई टिकटों/एयरवे बिलों के मूल्य के अनुमानित प्रतिशत की पहचान राजस्व के रूप में की जाती है जिसका अनुमान उपलब्ध विगत सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

(ख) पुनः जारी करने/धनवापसी/अन्य वाहकों को यात्रियों के अनैच्छिक ट्रांस्फर से हुई हानि अथवा लाभ को भी यथा स्थिति राजस्व से घटाया अथवा शामिल किया जाता है।

(ग) कोड शेयर भागीदारों से प्राप्त अपलिफ्ट डाटा के आधार पर ब्लॉक स्पेस व्यवस्थाओं/कोड शेयर राजस्व/व्यय की पहचान वास्तविक आधार पर की जाती है। जहां भी कोड शेयर भागीदारों से विवरण उपलब्ध नहीं होता है तो राजस्व/व्यय को प्राप्त दस्तावेज़ों/सूचना के आधार पर बुक किया जाता है तथा आवश्यक समायोजन को ऐसी सूचना प्राप्त होने के समय किया जाता है।

(घ) ब्याज से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर माना जाता है।

(ड.) वर्ष के समाप्त होने से पूर्व जब भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है तो लाभांश को आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(च) बीमा कंपनियों से प्राप्त दावों को बीमा कंपनियों द्वारा उनकी स्वीकृति पर ही लेखों में दर्ज किया जाता है।

(छ) वैंडरों से प्राप्त वारंटी दावे/क्रेडिट नोट की पहचान क्रेडिट नोट के दावों/प्राप्ति की स्वीकृति पर की जाती है।

(ज) वर्ष के दौरान वस्तुएं डिलीवर करने या सेवाएं प्रदान करने पर ही अन्य प्रचालन राजस्व की पहचान की जाती है।

(झ) हज यात्रियों को ले जाने के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय हेतु भारत सरकार तथा केन्द्रीय हज़ समिति से प्राप्त होने वाली हज प्रचालन राशि को चार्टर राजस्व के रूप में लेखाकृत किया जाता है।

(ञ) स्थिर परिसंपत्तियों, जिनमें मूल्यह्रासित मूल्य वाले विमान शामिल हैं, के विक्रय/स्क्रैप से हुए लाभ अथवा हानि को प्रचालनात्मक राजस्व अथवा व्यय के रूप में लाभ तथा हानि विवरणी में रखा जाता है।

(ट) अन्य मदें:–

i) स्क्रैप विक्रय, चिकित्सा, शैक्षिक तथा अन्य बिना वेतन अवकाशों का उपयोग करने हेतु कर्मचारी से प्रतिपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं से ब्याज़ के दावों, अन्य स्टाफ दावों तथा लॉस्ट बैगेज दावों की गणना नकद आधार पर की जाती है।

ii) आयटा बकायों हेतु देय राशियों की देयताओं, व्ययों के लिए देयताओं तथा निर्माता क्रेडिटों की गणना किए गए दावों की सीमा तक/प्राप्त इन्वायस के आधार पर की जाती है।

7. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

ऋणों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब वे या तो तीन वर्षों से अधिक पुराने हों अथवा उनके संदिग्ध होने की जानकारी विशेष रूप से हो।

तथापि, सरकार, राज्य या केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋणों, जिनके निश्चित रूप से वसूली योग्य होने की जानकारी है, को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता चाहे वे 3 वर्ष से अधिक पुराने हों।

8. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i) <u>समग्र विदेशी प्रचालनों का विदेशी मुद्रा लेन–देन</u>

(क) समग्र विदेशी प्रचालन से संबंधित राजस्व तथा व्यय का विदेशी मुद्रा में लेन–देन निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आयटा दरों पर आधारित) पर अंतरित किया जाता है।

(ख) परिवहन के लिए एयरलाइनों के साथ इंटरलाइन समझौता, संबंधित माह के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है ।

ii) <u>विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें</u>

(क) दिनांक 31 मार्च, 2009 (दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 को संशोधित) तथा तदुपरांत समय–समय पर हुए संशोधनों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 11(एएस–11) से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा उसके साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग के समय उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों का लेखांकन करती है।

i) तद्नुसार, पिछले वित्तीय विवरणों में दिए गए या अवधि के दौरान प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न दरों पर दीर्घकालिक मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग या समझौते से उत्पन्न विनिमय अंतरों के प्रभाव को परिसंपत्तियों की लागत में कटौती या वृद्धि द्वारा लेखांकित किया जाता हैं। मूल्यह्रास पूंजी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित होने पर, संबंधित परिसंपत्तियों की शेष उपयोगी आयु तथा लागत में वृद्धि या कटौती द्वारा तथा अन्य मामलों में "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तित अंतर लेखा" में अंतरण द्वारा इनका लेखांकन किया जाता है।

ii) वर्ष के अंत में दीर्घकालिक के रूप में पहचान किए गए विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा वर्ष के अंत में परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और विनिमय दर में हुए उतार–चढ़ाव के कारण जो लाभ/हानि हुई है उसे लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

ख) देयता तथा लोन व अग्रिम जिनके लिए संदेहास्पद प्रावधान किए जाते हैं, वर्ष के अंत में उनके संबंध में किसी भी विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि उनके प्राप्त होने की संभावना नहीं होती।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ में परिभाषित अंशदान योजनाएं और परिभाषित लाभ योजनाएं शामिल हैं।

(क) परिभाषित अंशदान योजनाओं में कर्मचारियों के भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान शामिल हैं। कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान की व्यवस्था के लिए अलग से एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें नियमित रूप से अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा देय को सरकारी प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया जाता है।

(ख) कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाएं, जो निधिबद्ध नहीं होती, में उपदान, बीमारी छुट्टी तथा सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ एवं अन्य लाभों सहित छुट्टी नकदीकरण सम्मिलित हैं। इन लाभों की देयता (नीचे दिए गए 'ग' को छोड़कर) भारतीय कानून के अनुसार वर्ष के अंत में प्रोजैक्टिड यूनिट क्रेडिट पद्धति के तहत बीमांकिक रूप से निर्धारित की जाती है।

(ग) विदेशी स्टेशनों पर सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की देयता का प्रावधान वर्ष के अंत में उपलब्ध सूचना के आधार पर, संबंधित देशों में प्रभावी स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जाता है।

10. ऋण लागत

(क) प्रगति–पर–पूंजीगत कार्य सहित अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई ऋण लागत को परिसंपत्तियों के व्यावसायिक प्रयोग के आरंभ होने की तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है।

(ख) 10.00 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य की अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए उपयोग की गई उधार की निधियों पर लगाया गया ब्याज, उस अर्जन के समय के बकाया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर पर पूंजीकृत किया जाता है ।

11. परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर निर्धारित करती है कि क्या वहां पर परिसंपत्तियों की क्षति के कोई संकेत हैं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत हो तो एएस–28 के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

12. प्रचालनगत लीज़

(क) ऐसी लीज़, जहां पट्टादाता लीज़ पर ली गई परिसंपत्तियों के स्वामित्त्व के सभी जोखिम और लाभ प्रभावी रूप से अपने पास सुरक्षित रखता है, उसे प्रचालनगत लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा वर्ष के लिए देय लीज़ किरायों को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है। उन लीजों के संबंध में जिनकी अवधि, टर्मिनेशन/रिलीज राशि के भुगतान द्वारा बढ़ा दी गई हैं, जिसके द्वारा कंपनी विमान में अवशिष्ट अधिकार प्राप्त करती है, ऐसी राशि को उड़ान घंटों द्वारा निर्धारित विमान के शेष उपयोगी जीवन से घटा दिया जाता है।

(ख) लीज़ अवधि के दौरान जिस अनुरक्षण में वृद्धि होने की संभावना है, उसके लिए अनुरक्षण आरक्षित हेतु पट्टादाताओं को दिया गया अंशदान पूर्वदत्त व्यय के रूप में माना जाता है।

13. कमोडिटी हैजिंग लेन–देन :

कमोडिटी हैजिंग कांट्रैक्ट के प्रीमियम को कांट्रैक्ट में शामिल होने की तिथि पर लेखाकृत किया जाता है। तथापि, निपटान कांट्रैक्ट के संबंध में वसूले गए लाभ/हानि को वसूल किए गए वर्ष में लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

14. आय पर कर

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई कर दरों और विधियों का प्रयोग करके बहीखातों और कर योग्य लाभों के बीच के समय के अंतर के आधार पर आस्थगित कर की पहचान की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है और उन्हें एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जिससे वास्तव में कंपनी की प्रचालनात्मक तथा वित्तीय पुनः संरचना, राजस्व अर्जन तथा लागत कटौती कार्यक्रम के आधार पर यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

(क) मापन में बहुत अधिक मात्रा में अनुमान वाले प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है तथा यह संभावना होती है कि संसाधनों का आउटफ्लो होगा।

(ख) पूर्व घटनाओं से उद्भूत होने वाली संभावित देयताओं के संबंध में, प्रत्येक मामले में 0.1 मिलियन रुपए से अधिक प्रासंगिक देयताओं को दर्शाया जाता है किंतु उनकी उपस्थिति की पुष्टि, भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं (जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं होती) के होने या न होने से होती है।

(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों की न तो पहचान की जाती है और न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

16. फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम

कंपनी एक फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम चलाती है जिसमें एकत्रित किए गए माइलेज़ प्वाइंटों के आधार पर अपने सदस्यों को निःशुल्क टिकटें प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के तहत निःशुल्क यात्रा के लिए यात्रियों की सुख–सुविधाएं तथा कानूनी देयता (यदि कोई है) का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन आधार पर किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

17. अन्य देयताएं

तीन वर्ष से अधिक पुरानी देयताओं को "प्रोविज़न नो लांगर रिक्वायर्ड रिटिन बैक" शीर्ष के अंतर्गत पुनरांकित किया जाता है, जब तक कि ऐसी देयताएं भविष्य में देय होने के लिए विशेष रूप से ज्ञात न हों।

18. पूर्वदत्त व्यय/व्ययों की देयता

पूर्वदत्त व्यय/व्ययों की देयता की निम्नानुसार पहचान की जाती है :–

(क) विदेशी स्टेशन – प्रत्येक मामले में 50,000/– रुपए और उससे अधिक

(ख) घरेलू स्टेशन – प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपए और उससे अधिक

नोट ''2'' शेयर पूंजी

(रुपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
क. प्राधिकृत 10 रुपए प्रत्येक के 25,000.0 मिलियन इक्विटी शेयर (पिछले वर्षः 10 रुपए प्रत्येक के 25,000.0 मिलियन इक्विटी शेयर)	**250,000.0**	250,000.0
	250,000.0	250,000.0
ख. जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त शेयर प्रति 10 रुपए के 21,496.0 मिलियन इक्विटी शेयर (पिछले वर्षः 10 रुपए प्रत्येक के 17,178.0 मिलियन इक्विटी शेयर)	**214,960.0**	171,780.0
कुल	**214,960.0**	171,780.0

ख.i) शेयरों की संख्या का मिलान

	(शेयरों की संख्या मिलियन में)		(शेयर मूल्य मिलियन रुपए में)	
विवरण	**2015-16**	2014-15	**2015-16**	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयर	**17,178**	14,345	**171,780.0**	143,450.0
जमाः वर्ष के दौरान आबंटित इक्विटी शेयर	**4,318**	2,833	**43,180.0**	28,330.0
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	**21,496**	17,178	**214,960.0**	171,780.0

ii) इक्विटी शेयरों से संबंद्ध शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास एक ही प्रकार की शेयर पूंजी है जो इक्विटी शेयर के रूप में है तथा जिसका मूल्य 10/–रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है।

कंपनी के समापन की स्थिति उत्पन्न होने पर इक्विटी शेयर धारक, सभी प्रकार की अधिमान्य राशियों के भुगतान के बाद, कंपनी की शेष परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। शेयर होल्डर के स्वामित्व में जितने इक्विटी शेयर होंगे उसी के अनुपात में वितरण किया जाएगा।

iii) शेयर होल्डिंग पद्धतिः

कंपनी एक सरकारी कंपनी है। इसके 100 प्रतिशत शेयर भारत के राष्ट्रपति तथा उनके नामिती के नाम हैं तथा यह नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

ग. **शेयर ऐप्लीकेशन मनी**: 29,290.0 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 39,470.0 मिलियन रुपए) की शेयर ऐप्लीकेशन मनी लंबित आबंटन से अभिप्राय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान पूंजी निवेश के तहत भुगतान की गई राशि से है जिसके लिए शेयरों के आबंटन को अभी तय नहीं किया गया है।

नोट ''3'' : आरक्षित एवं अधिशेष

(रुपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
1. आरक्षित पूंजी		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**6,485.4**	1,760.3
जमा : वर्ष के दौरान वृद्धि*	**494.1**	4,924.7
घटा : मूल्यह्रास को ऑफ सेट करने के लिए लाभ–हानि खाते में अंतरण **(नोट 20 देखें)**	**301.2**	199.6
अंतशेष	**6,678.3**	6,485.4
2. सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**(1,436.7)**	(1,436.7)
अंतशेष	**(1,436.7)**	(1,436.7)
3. अन्य आरक्षित		
क) फोरन करेन्सी मोनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेन्स खाता। (एफसीएमआईटीडीए)	**(3,465.0)**	(3,401.9)
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**(527.4)**	(297.4)
वर्ष के दौरान विनिमय लाभ/(हानि)	**285.8**	234.3
वर्ष के दौरान ऋण चुकौती		
अंतशेष	**(3,706.6)**	(3,465.0)
4. अधिशेष/(घाटा)		
पिछली वित्तीय विवरणियों के अनुसार शेष	**(375,440.4)**	(316,837.6)
अनुसूची ।। के अनुसार मूल्यह्रास में समायोजन	3.7	(3.7)
वर्ष में हानि	**(38,367.8)**	(58,599.1)
निवल घाटा	**(413,804.5)**	(375,440.4)
कुल (1+2+3+4)	**(412,269.5)**	(373,856.7)

* इसमें नागपुर में टैस्ट सेल सुविधा के लिए जीई से प्राप्त एमआरओ भत्ता सम्मिलित है।

नोट ''4'' : दीर्घावधि ऋण

(रुपए मिलियन में)

विवरण	गैर चालू		चालू	
	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2015 तक	**31 मार्च, 2016 तक**	31 मार्च, 2015 तक
I डिबेंचर्स	**136,000.0**	136,000.0	**-**	-
II मियादी ऋण				
क) बैंकों से (रक्षित)	**121,249.6**	122,265.0	**2506.8**	2,527.6
ख) बैंकों से (अरक्षित)	**24,130.7**	5,379.9	**5,693.0**	167.9
ग) अन्य पार्टियों से (अरक्षित)	**233.8**	230.5	**10.5**	9.9
III वित्त पट्टे की बाध्यताओं की दीर्घावधि परिपक्वता	**76,449.7**	87,575.6	**16,387.4**	15,345.9
कुल	**358,063.8**	351,451.0	**24,597.7**	18,051.3

4(I) डिबेंचर्स

क) प्रत्येक 1 मिलियन रुपए के अंकित मूल्य के 136,000 रिडिमेबल, अरक्षित, अपरिवर्तनशील डिबेन्चरों (गत वर्ष : 136,000 डिबेन्चर) को भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई। परिपक्वता संबंधी विवरण एवं निर्धारित ब्याज की दर निम्नानुसार है :–

(रुपए मिलियन में)

परिपक्वता की अवधि	परिशोधन पर देय राशि	ब्याज दर
दिसम्बर-2031	4,714.0	9.08%
नवम्बर-2031	10,086.0	9.08%
सितम्बर-2031	15,000.0	10.05%
दिसम्बर-2030	4,714.0	9.08%
नवम्बर-2030	10,086.0	9.08%
दिसम्बर-2029	4,714.0	9.08%
नवम्बर-2029	10,086.0	9.08%
दिसम्बर-2028	4,714.0	9.08%
नवम्बर-2028	10,086.0	9.08%
दिसम्बर-2027	4,714.0	9.08%
नवम्बर-2027	10,086.0	9.08%
सितम्बर-2026	40,000.0	9.84%
मार्च-2020	7,000.0	9.13%
कुल	**136,000.0**	

ख) कंपनी द्वारा लाभ अर्जन के अभाव में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 (4) के अंतर्गत अपेक्षित डिबेंचर छूट आरक्षित सृजित नहीं किया गया।

4(IIक) बैंकों से रक्षित मियादी ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:–

(रुपए मिलियन में)

क्रम सं0	रिस्ट्रक्चरिंग ऋणदाता	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2015 तक
1	इलाहाबाद बैंक	**2,841.7**	2,871.9
2	आन्ध्रा बैंक	**3,434.8**	3,458.2
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	**12,768.1**	12,924.1
4	बैंक ऑफ इंडिया	**16,795.8**	16,556.6
5	केनरा बैंक	**8,340.3**	8,439.3
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**9,082.8**	9,191.6
7	कार्पोरेशन बैंक	**7,384.2**	7,477.8
8	देना बैंक	**1,313.7**	1,340.3
9	दी फेडरल बैंक लिमिटेड	**2,040.2**	1,994.7
10	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	**4,256.3**	4,308.0
11	इंडियन बैंक	**4,247.5**	4,302.4
12	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	**6,974.2**	7,064.1
13	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	**8,680.3**	8,781.5
14	पंजाब नेशनल बैंक	**11,971.9**	12,103.8
15	पंजाब एंड सिंध बैंक	**2,696.3**	2,726.7
16	भारतीय स्टेट बैंक	**6,461.8**	6,596.8
17	सिंडिकेट बैंक	**6,231.6**	6,312.4
18	यूको बैंक	**5,675.1**	5,744.3
19	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	**2,559.8**	2,598.1
	कुल	**123,756.4**	124,792.6

बैंकों के सभी रक्षित आवधिक ऋणों के लिए ब्याज दर को संबंधित बैंक की ऋण दर/बेस दर/लिबर प्लस मार्जिन से जोड़ा गया है। इन ऋणों की चुकौती तिमाही किस्तों में 31 दिसम्बर 2013 से आरंभ होकर 30 सितम्बर 2026 के अंत तक किया जाएगा। चुकौती की किस्त की राशि तथा ब्याज दर का खुलासा चुकौती अनुसूची की जटिलता तथा बैंक के साथ ब्याज दर में गोपनीयता की शर्त के कारण नहीं किया गया है।

उपर्युक्त बैंकों के सभी मियादी ऋण 29 विमानों तथा बाजार मूल्य पर 12 अचल परिसंपत्तियों तथा सभी चालू परिसंपत्तियों से रक्षित हैं (गत वर्ष 29 विमान, 12 अचल परिसंपत्तियां तथा सभी चालू परिसंपत्तियां)। तथापि 7 अचल परिसम्पत्तियों के लिए बैंकों के साथ उचित बंधक पत्र तैयार किया जाना शेष है।

4(IIख) बैंकों से कुल 29823.7 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 5,547.8 मिलियन रुपए) के कुल अरक्षित आवधिक ऋण पर भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है।

(रुपए मिलियन में)

समान ऋण किस्तों की संख्या	31 मार्च, 2016 को ऋण किस्तों की राशि	ब्याज दर	चुकौती माह का प्रारंभ	परिपक्वता माह
21	1,132.1	लीबर + 2.13455	अप्रैल-2015	अप्रैल-2021
20	1,186.6	लीबर + 2.15	मार्च-2015	मार्च-2021
20	1,198.0	लीबर + 1.55	मार्च-2016	मार्च-2021
20	1,325.5	लीबर + 1.55	मार्च-2016	मार्च-2021
17	19,876.5	लीबर + 1.80	जून-2016	मार्च-2020
बुलैट	4,575.9	लीबर + 1.45 /2.5	जुलाई/सितम्बर-2011	सितम्बर-2016
04	529.1	लीबर + 3.82-4.01%	जनवरी-2016	जुलाई-2017
कुल	**29,823.7**			

4(IIग) 244.3 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष :240.4 मिलियन रुपए) के ''अन्य से अरक्षित आवधिक ऋण'' पर भारत सरकार की पूरी गारंटी है।

(रुपए मिलियन में)

समान ऋण किस्तों की संख्या	31 मार्च, 2016 को ऋण राशि	ब्याज दर	चुकौती माह का प्रारंभ	परिपक्वता माह
48	168.3	ब्याज रहित	अक्तूबर-1990	अक्तूबर-2039
42	76.0	ब्याज रहित	अक्तूबर-1987	मार्च-2037
कुल	**244.3**			

4(III) 22,837.1 मिलियन रुपए (गत वर्षः 102,921.5 मिलियन रुपए) की वित्त लीज़ बाध्यता की दीर्घकालीन परिपक्वता को 74,901.3 मिलियन रुपए (गत वर्षः 82471.0 मिलियन रुपए) तक भारत सरकार की गारंटी प्राप्त है।

(रुपए मिलियन में)

समान ऋण किस्तों की संख्या	31 मार्च, 2016 को ऋण राशि	ब्याज दर	चुकौती माह का प्रारंभ	परिपक्वता माह
54	14,826.6	लीबर + 0.24	अगस्त-2011	जुलाई-2022
74	28,738.5	लीबर + 0.93	मार्च-2010	सितम्बर-2021
20	19,636.3	लीबर + 0.75	फरवरी-2008	फरवरी-2021
37	6,078.3	लीबर - 0.05+0.55	जनवरी-2009	मई-2020
53	9490.1	2.46% से 2.89% स्थिर	अक्तूबर-2007	दिसम्बर-2019
15	14067.3	लीबर + 0.75	मार्च-2007	दिसम्बर-2019
कुल	**92,837.1**			

* दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता को अन्य चालू देयताओं शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। (संदर्भ नोट संख्या 5)

नोट ''5'' : देयताएं

(रुपए मिलियन में)

विवरण	अन्य दीर्घकालिक देयताएं		अन्य चालू देयताएं	
	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2015 तक	**31 मार्च, 2016 तक**	31 मार्च, 2015 तक
व्यापार देय *	**-**	**-**	**80,093.0**	69,122.6
(क)	**-**	**-**	**80,093.0**	69,122.6
अन्य देयताएं				
क) दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता **	**-**	**-**	**8,210.3**	2,705.4
ख) वित्त लीज़ बाध्यताओं की वर्तमान परिपक्वता **	**-**	**-**	**16,387.4**	15,345.9
ग) उपार्जित ब्याज किंतु देय तिथि को देय नहीं	**-**	**-**	**6,779.9**	6,556.2
घ) उपार्जित ब्याज और ऋण पर देय ***	**-**	**-**	**349.9**	430.6
ड.) फोरवर्ड सेल्स (निवल)(यात्री/कार्गो)	**-**	**-**	**22,281.5**	19,875.1
च) ग्राहकों से अग्रिम (निवल)	**-**	**-**	**484.8**	503.9
छ) अन्य देयताएं (निवल)	**666.7**	653.3	**22,233.3**	19,397.0
(ख)	**666.7**	653.3	**76,727.1**	64,814.1
कुल (क+ख)	**666.7**	653.3	**156,820.1**	133,936.7

* **<u>व्यापार देय में सम्मिलित हैं:–</u>**

सहायक कंपनी एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को निवल देय के 861.2 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 538.7 मिलियन रुपए) सम्मिलित हैं।

सहायक कंपनी एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड को निवल देय के शून्य मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 6.8 मिलियन रुपए) सम्मिलित हैं।

संयुक्त कंपनी एआई–सैट्स को निवल देय के 654.2 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 644.6 मिलियन रुपए) निवल देय हैं।

सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की पहचान – नोट सं0 49 भी देखें।

** दीर्घावधि ऋण/वित्त लीज बाध्यताओं की वर्तमान परिपक्वता के विवरण को दीर्घावधि ऋण के अंतर्गत रखा गया है (संदर्भ नोट संख्या 4)।

*** **<u>अर्जित एवं देय ब्याज में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–</u>**

बैंकों से लिए गए (गत वर्ष : 43.9 मिलियन रुपए) के रक्षित आवधिक ऋण पर ब्याज शून्य मिलियन रुपए में है जिसका बाद में भुगतान कर दिया गया। (संदर्भ नोट सं0 4)।

बैंकों की मांग पर प्रतिदेय रक्षित आवधिक ऋण पर ब्याज 253.0 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 270.4 मिलियन रुपए) है जिसका बाद में भुगतान कर दिया गया। (संदर्भ नोट सं0 7)।

बैंकों की मांग पर प्रतिदेय अरक्षित आवधिक ऋण पर 96.9 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 116.3 मिलियन रुपए) का ब्याज है जिसका बाद में भुगतान कर दिया गया। (संदर्भ नोट सं0 7)।

नोट ''6'' : प्रावधान

(रुपए मिलियन में)

विवरण	दीर्घावधि प्रावधान		अल्पावधि प्रावधान	
	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को	**31 मार्च, 2016 को**	31 मार्च, 2015 को
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
क) उपदान	**5,347.2**	6,027.7	**936.4**	995.3
ख) छुट्टी नकदीकरण	**3,406.3**	3,309.4	**514.0**	742.3
ग) सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा तथा अन्य लाभ	**2,640.1**	2,127.3	**361.2**	527.1
अन्य प्रावधान **(क)**	**11,393.6**	11,464.4	**1,811.6**	2,264.7
क) संपत्ति कर	**-**	**-**	**-**	17.1
ख) फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम	-	-	**269.6**	291.9
(ख)	**-**	**-**	**269.6**	309.0
कुल (क + ख)	**11,393.6**	11,464.4	**2,081.2**	2,573.7

नोट ''7'' : अल्पावधि ऋण

(रुपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
I मांग पर ऋण अदायगी :		
क) बैंकों से (रक्षित) 1/2/#	**119,653.2**	121,548.7
ख) बैंकों से (अरक्षित) #	**25,855.6**	22,619.8
कुल	**145,508.8**	144,168.5

1. बैंकों की मांग पर रक्षित ऋण की पुनः अदायगी 64,827.2 मिलियन रुपए है (पिछले वर्ष 66,517.5 मिलियन रुपए)। बैंकों से रक्षित ऋण का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए मिलियन में)

क्रम सं0	ऋणदाता की सूची	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
1	इलाहाबाद बैंक	**3,850.0**	3,850.0
2	आन्ध्रा बैंक	**1,002.9**	1,010.0
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	**4,009.9**	3,917.5
4	बैंक ऑफ इंडिया	**5,596.2**	6,797.8
5	केनरा बैंक	**4,810.4**	4,754.1
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**2,716.5**	2,716.5
7	कार्पोरेशन बैंक	**2,185.7**	2,210.0
8	देना बैंक	**3,641.2**	2,390.4
9	एचडीएफसी बैंक लि.	**166.8**	232.3
10	दी फेडरल बैंक लिमिटेड	**662.6**	625.1
11	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	**1,262.6**	1,264.2
12	इंडियन बैंक	**1,280.0**	1,280.0
13	इंडियन ओवरसीज बैंक	**2,041.2**	5,085.8
14	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	**2,597.7**	2,597.7
15	पंजाब नेशनल बैंक	**3,813.8**	3,757.5
16	पंजाब एंड सिंध बैंक	**789.9**	806.4
17	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	**18,390.6**	17,380.7
18	भारतीय स्टेट बैंक	**2,443.7**	2,266.5
19	सिंडिकेट बैंक	**1,867.7**	1,867.7
20	यूको बैंक	**1,697.8**	1,697.8
21	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	**-**	9.5
	कुल (1)	**64,827.2**	66,517.5

64827.1 मिलियन रुपए के ऋण बाजार मूल्य पर 34 विमानों तथा 12 अचल परिसंपत्तियों तथा सभी चालू परिसंपत्तियों के आडमान द्वारा रक्षित है (गत वर्ष 35 विमान तथा 12 अचल परिसम्पत्तियां तथा सभी चालू परिसम्पत्तियां)। तथापि 7 अचल परिसम्पत्तियों हेतु बैंकों के साथ उचित बंधक पत्र तैयार किया जाना शेष है:

2. बैंकों की मांग पर रक्षित ऋण की पुनः अदायगी 54826.0 मिलियन रुपए है (पिछले वर्ष 55,031.2 मिलियन रुपए)। बैंको से रक्षित ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है:–

(रुपए मिलियन में)

क्रम सं0	**ऋणदाता की सूची**	**31 मार्च, 2016 को**	31 मार्च, 2015 को
1	बैंक ऑफ इंडिया	**13,118.5**	12,375.0
2	ड्यूशे बैंक/स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	**41,707.5**	36,718.7
3	इन्वेसटैक बैंक	**-**	5,937.5
	कुल (2)	**54,826.0**	55,031.2
	कुल (1 + 2)	**119,653.2**	121,548.7

बाजार मूल्य पर 9 विमानों के आडमान द्वारा 54826.0 मिलियन रुपए (गत वर्ष :55,031.2 मिलियन रुपए) का ऋण रक्षित किया गया है। (गत वर्ष 9 विमान)

बैंकवार राशि और चूक की अवधि की घोषणा आंकड़ों की जटिलता और बैंकों के साथ किए गए गोपनीयता खंड के कारण नहीं की जा रही है (नोट 4 तथा 5 भी देखें)।

नोट ''8'' : स्थिर परिसंपत्तियां

(रुपए मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	सकल पूंजी				मूल्यह्रास				निवल पूंजी	
		01 अप्रैल, 2015 को	वृद्धि	कटौती/ पुनःवर्गीकरण	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ पुनःवर्गीकरण	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2015 तक
	मूर्त परिसंपत्तियां :										
	क. भूमि तथा भवन										
1.	भूमि–फ्रीहोल्ड	7,158.6	648.5	147.0	7,660.1	-	-	-	-	**7,660.1**	7,158.6
2.	भूमि–पट्टे पर	63,457.9	19.7	648.5	62,829.1	956.9	-	956.9	-	**62,829.1**	62,501.0
3.	भवन	20,696.6	84.2	376.7	20,404.1	6,327.7	772.3	63.2	7,036.8	**13,367.3**	14,368.9
	उप जोड़ (क)	91,313.1	752.4	1,172.2	90,893.3	7,284.6	772.3	1,020.1	7,036.8	**83,856.5**	84,028.5
	ख. विमान बेड़ा, रोटेबल्स व रिपेयरेबल्स										
1.	एयरफ्रेम										
	अपने स्वामित्व के	227,065.0	20,458.9	51,384.9	196,139.0	59,009.0	9,482.5	1,176.0	67,315.5	**128,823.5**	168,056.0
2.	एयरो इंजन तथा पावर प्लांट										
	(क) अपने स्वामित्व के–स्थिर लागत	78,339.1	10,528.1	20,204.7	68,662.5	18,841.1	3,130.1	959.5	21,011.7	**47,650.8**	63,554.9
	(ख) अपने स्वामित्व के–अस्थिर लागत (घटक)	5,518.7	542.6	-	6,061.3	1,461.8	1,750.4	-	3,212.2	**2,849.1**	-
	(ग) अपने स्वामित्व के–रिपेयर लागत	-	2,275.3	-	2,275.3	-	326.2	-	326.2	**1,949.1**	-
3.	सिमुलेटर तथा लिंक ट्रेनर	2,431.3	-	-	2,431.3	715.3	98.0	-	813.3	**1,618.0**	1,716.0
4.	एयरफ्रेम रोटेबल्स	6,448.0	1,648.6	112.4	7,984.2	2,215.7	405.0	9.7	2,611.0	**5,373.2**	4,232.3
5.	ऐयरो इंजन रोटेबल्स	1,408.8	-	-	1,408.8	591.3	60.5	-	651.8	**757.0**	817.5
6.	सिमुलेटर रोटेबल्स	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	**-**	-
7.	विमान की मरम्मत सामग्री	8,338.9	2,518.8	427.0	10,430.7	2,510.7	1,285.3	441.6	3,354.4	**7,076.3**	5,828.2
	उप जोड़ (ख)	329,549.9	37,972.3	72,129.0	295,393.2	85,345.0	16,538.0	2,586.8	99,296.2	**196,097.0**	244,204.9
	ग. अन्य–स्थिर परिसम्पत्तियां										
1.	कार्यशाला उपस्कर, उपकरण मशीनरी तथा संयंत्र	2,546.4	17.7	14.8	2,549.3	442.5	174.0	4.1	612.4	**1,936.9**	2,103.9
2.	सील सहायता तथा रैम्प उपकरण	2,001.2	9.4	2.1	2,008.5	1,119.3	330.7	1.0	1,449.0	**559.5**	881.9
3.	फर्नीचर तथा फिक्सचर	238.7	9.0	0.1	247.6	120.7	27.8	0.1	148.4	**99.2**	118.0
4.	वाहन	246.3	8.7	4.4	250.6	202.1	6.8	(3.1)	212.0	**38.6**	44.2
5.	कार्यालय मशीनें तथा उपकरण	731.8	33.6	7.3	758.1	452.2	197.8	4.8	645.2	**112.9**	279.6
6.	कंप्यूटर प्रणाली	1,537.4	59.9	14.2	1,583.1	1,147.8	288.2	12.4	1,423.6	**159.5**	389.6
7.	बिजली की फिटिंग तथा इंस्टालेशन्स	698.8	1.7	-	700.5	200.5	61.3	-	261.8	**438.7**	498.3
	उप जोड़ (ग)	8,000.6	140.0	42.9	8,097.7	3,685.1	1,086.6	19.3	4,752.4	**3,345.3**	4,315.5
	मूर्त परिसंपत्तियों के लिए कुल जोड़	**428,863.6**	**38,864.7**	**73,344.1**	**394,384.2**	**96,314.7**	**18,396.9**	**3,626.2**	**111,085.4**	**283,298.8**	332,548.9
	अमूर्त परिसंपत्तियां :										
	क. कंप्यूटर साफ्टवेयर	2,873.5	72.2	-	2,945.7	1,634.2	471.7	-	2,105.9	**839.8**	1,239.3
	ख. अन्य	639.4	-	-	639.4	127.9	127.9	-	255.8	**383.6**	511.5
	अमूर्त परिसंपत्तियां के लिए कुल जोड़	**3,512.9**	**72.2**	**-**	**3,585.1**	**1,762.1**	**599.6**	**-**	**2,361.7**	**1,223.4**	1,750.8
	कुल परिसंपत्तियां	**432,376.5**	**38,936.9**	**73,344.1**	**397,969.3**	**98,076.8**	**18,996.5**	**3,626.2**	**113,447.1**	**284,522.2**	
	पिछला वर्ष	417,468.4	62,478.0	47,569.9	432,376.5	86,897.1	19,408.6	8,228.9	98,076.8		334,299.7
	पूंजीगत कार्य – प्रगति पर									**6,734.0**	12,636.1
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां									**13.5**	13.5
	कुल योग									**291,269.7**	346,949.3

1 वर्ष के दौरान कंपनी ने दीर्घावधि मौद्रिक मदों के निपटान एवं रिपोर्टिंग से प्राप्त 9,166.2 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 7,336.2 मिलियन रुपए) के ट्रांस्लेशन अंतर को पूंजीगत किया। ''विमान बेड़ा रोटेबल्स व रिपेयरेबल्स'' में विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण 9,167.3 मिलियन रुपए (गत वर्षः 7298.8 मिलियन रुपए) पर विनिमय दर का उतार–चढ़ाव (नेट डेबिट और क्रेडिट) भी सम्मिलित है।

2 विमान बेड़ा रोटेबल्स व रिपेयरेबल्स में 37 विमान (तीन बी777–200 एल आर, बारह बी777–300 ई आर, दस ए–319 तथा बारह ए–321) (गत वर्ष : 37 विमान : तीन बी777–200 एल आर, बारह बी777–300 ई आर, दस ए–319, एवं बारह ए–321,) तथा 5 अतिरिक्त जीई इंजन (गत वर्ष : 5 अतिरिक्त जीई इंजन) सम्मिलित हैं तथा इन 37 विमानों और 5 अतिरिक्त इंजनों का पंजीकरण एसपीवी कंपनी के नाम है जिसके लिए लाभ हकदारी एअर इंडिया लि0 की है।

3 वर्ष के दौरान पूंजीगत की गई ऋण लागत 603.1 मिलियन रुपए (गत वर्ष 8,345.8 मिलियन रुपए) है।

4 विमान बेड़ा, रोटेबल्स व रिपेयरेबल्स'' के ब्लॉक के तहत कटौती में वर्ष के दौरान स्क्रैप किया गया 1जीई इंजन (गत वर्षः 2बी777–200 एलआर) सम्मिलित है। ग्रॉस ब्लॉक 1,278.8 मिलियन रुपए (गत वर्षः 150,076.1 मिलियन रुपए), मूल्यह्रास के लिए प्रावधान 455.5 मिलियन रुपए (गत वर्षः 4,046.1 मिलियन रुपए) है।

5 विमान बेड़ा रोटेबल्स व रिपेयरेबल्स के ब्लॉक में कमी में 1बी787–8 विमान (गत वर्ष : 4 बी787–8 विमान) सम्मिलित हैं जिन्हें वर्ष के दौरान विक्रय एवं लीज बैक व्यवस्था के अंतर्गत अंतरित किया गया । सकल ब्लॉक 6,550.0 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 26,293.4 मिलियन रुपए), मूल्यह्रास के लिए प्रावधान 409.3 मिलियन रुपए (गत वर्ष :1376.4 मिलियन रुपए) है।

6 विमान बेड़ा रोटेबल्स व रिपेयरेबल्स के ब्लॉक में कमी में वर्ष के दौरान विक्रय के लिए रखा गया पुनः वर्गीकृत 9 बी 787–800 विमान भी शामिल हैं (संदर्भ नोट सं0 31)। सकल ब्लॉक 63,760.9 मिलियन रुपए मूल्यह्रास के लिए प्रावधान 1270.7 मिलियन रुपए।

7 मूल्यह्रास के तहत पूर्वावधि के लिए 947.8 मिलियन रुपए का क्रेडिट (गत वर्षः 31.8 मिलियन रुपए क्रेडिट) तथा पूंजी आरक्षित के लिए 301.2 मिलियन रुपए का डेबिट (गत वर्षः 199.6 मिलियन रुपए का डेबिट) सम्मिलित हैं।

8 लेखांकन नीति के अनुसार, कंपनी ने एएस 28 की अपेक्षानुसार परिसम्पत्तियों की क्षति की जांच की तथा परिसंपत्तियों को कोई क्षति नहीं हुई है।

9 ''अमूर्त परिसम्पत्तियां–अन्य'' में स्टार एलायंस में शामिल होने का सदस्यता शुल्क सम्मिलित है।

10 वर्कशॉप उपकरण, इन्स्ट्रुमेन्ट मशीनरी तथा संयंत्र एवं अन्य स्थायी परिसंपत्तियों में सम्मिलित विशेष औजारों की कुल ब्लॉक राशि में वर्षवार मूल्यह्रास किया जा रहा है।

11 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 01.04.2015 को 1,461.8 मिलियन रुपए का मूल्यह्रास के लिए रक्षित के अंतरण 6,066.1 मिलियन रुपए की राशि को इंजन की स्थिर लागत से इंजन की अस्थिर लागत में अंतरित किया गया है। वर्ष के दौरान इंजन के अस्थिर घटक इंजन पर 1,750.4 मिलियन रुपए मूल्यह्रास प्रभारित किए गए हैं।

12 विमान बेड़ा, रोटेबल्स व रिपेयरेबल्स में 2 बी 777–300 विमान तथा 1 इंजन (एमएसएन 906791) शामिल है जिन्हें विक्रय की तिथि को कम मूल्य पर वीवीआईपी प्रचालनों के लिए रक्षा मंत्रालय को बेचने के संबंध में बातचीत जारी है। सकल ब्लॉक 21,435.1 मिलियन रुपए, मूल्यह्रास के लिए 5,289.7 मिलियन रुपए तथा निवल ब्लॉक के लिए 16,145.3 मिलियन रुपए का प्रावधान है।

13 ''भूमि तथा इमारत'' में एनबीसीसी के साथ संयुक्त उद्यम में मौद्रीकरण के लिए पहचान की गई कुछ सम्पत्तियां सम्मिलित हैं, जिसके लिए कंपनी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

नोट ''9'': गैर चालू निवेश

(रुपए मिलियन में)

	विवरण	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
क)	**सहायक कंपनियों में निवेश**		
	अनुदधृत इक्विटी इन्सट्रुमेंट्स (लागत पर)		
1)	भारतीय होटल निगम लि0 में प्रति 100/– रुपए के पूर्ण प्रदत्त 4,060,000 इक्विटी शेयर	**406.0**	406.0
2)	भारतीय होटल निगम लि0 में प्रति 100/– रुपए के पूर्ण प्रदत्त 7,000,000 इक्विटी शेयर आवेदन राशि जिसका आबंटन लंबित है।	**700.0**	-
3)	एअर इंडिया चार्टर्स लि0 में प्रति 100/– रुपए के पूर्ण प्रदत्त 78,000,000 इक्विटी शेयर	**7,800.0**	7,800.0
4)	एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 में प्रति 10/– रुपए के पूर्ण प्रदत्त 138,424.200 इक्विटी शेयर (गत वर्षः 50,000 इक्विटी शेयर)	**1,384.2**	0.5
5)	एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि0 में प्रति 10/– रुपए के पूर्ण प्रदत्त शून्य इक्विटी शेयर (गत वर्षः 138,374.200 इक्विटी शेयर) आबंटन हेतु लंबित है।	**-**	1,383.7
6)	एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0 में (गत वर्षः 50,000 इक्विटी शेयर) प्रति 10/– रुपए के पूर्ण प्रदत्त 166,666.500 इक्विटी शेयर।	**1,666.7**	0.5
7)	एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लि0 में प्रति 10/– रुपए के पूर्ण प्रदत्त शून्य इक्विटी शेयर (गत वर्षः 166,666.500 इक्विटी शेयर) आबंटन हेतु लंबित हैं।	**-**	1,666.2
8)	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0 में प्रति 100/–रुपए के पूर्ण प्रदत्त 40,225,000 इक्विटी शेयर (गत वर्षः 2,25,000 इक्विटी शेयर)।	**4,022.5**	22.5
	सहायक कंपनियों में कुल निवेश	**15,979.4**	11,279.4
ख	**व्यापारिक निवेश**		
	अनुदधृत निवेश (लागत पर)		
1)	सीटा (सोसायटी इंटरनेशनल डि टेली कम्यूनिकेशन्स एरोनॉटिक्स) में प्रति 5.00 यूरो के पूर्ण प्रदत्त 271,915 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 271,854 इक्विटी शेयर) (वर्ष के दौरान 61 शेयर आबंटित किए गए)।	**13.9**	13.9
2)	सीटा इन्फोरमेशन नेटवर्क कम्प्यूटिंग एन.वी के 618,460 डिपॉजिटरी प्रमाण पत्र।	**28.8**	28.8
3)	एरोनॉटिकल रेडियो ऑफ थाइलैंड लि0 के प्रति 100 भाट के पूर्ण प्रदत्त 1,653 बी श्रेणी के शेयर (पिछले वर्ष : 1,877 शेयर) (वर्ष के दौरान 19 शेयर रिडीम किए गए)	**0.3**	0.3
4)	एअर मॉरीशस लि0 में प्रति 10 मॉरीशस रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,617,098 इक्विटी शेयर	**9.5**	9.5
5)	एअर मॉरीशस होल्डिंग लि0 में प्रति 10 मॉरीशस रुपए के पूर्ण प्रदत्त 2,301,244 इक्विटी शेयर	**16.7**	16.7
6)	इटली सरकार द्वारा गारंटी दिए गए 15.49 यूरो के अंकित मूल्य के बांकों दे रोमा के 6% डिबैंचर बॉन्ड (नागर विमानन विभाग, इटली के पास जमा किए गए हैं) '(3,057.69 रुए)	*** 0.0**	* 0.0
7)	कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड में प्रति 10 रुपए के पूर्ण प्रदत्त 12,500,000 इक्विटी शेयर (गत वर्षः 10,000,000 इक्विटी शेयर) (10 रुपए के 2,500,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए तथा प्रति शेयर 40 रुपए के अधिशुल्क पर स्वीकार किए गए)।	**225.0**	100.0
8)	एसोसिएशन स्पोर्टिव ड्यू गोल्फ इज़ाबेला में प्रति 152.45 यूरो के 50 इक्विटी शेयर।	**0.4**	0.4
9)	एअर इंडिया–सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्रा. लि0 में प्रति 10 रुपए के पूर्ण प्रदत्त 40,424,975 इक्विटी शेयर। (प्रति शेयर 0.79 रुपए के अधिशुल्क पर जारी प्रति 10 रुपए के 40,427,975 इक्विटी शेयर)	**436.2**	436.2
	कुल व्यापार निवेश	**730.8**	605.8
	उदधृत (लागत पर)		
	फ्रांस टेलीकॉम में प्रति 0.48 यूरो के 375,407 पूर्ण प्रदत्त शेयर (बाजार मूल्य 435.7 मिलियन रुपए, 5.8 मिलियन यूरो के समतुल्य) (पिछले वर्षः 377.5 मिलियन रुपए, 5.6 मिलियन यूरो के समतुल्य)	**7.6**	7.6
	कुल	**16,717.8**	11,892.8

अनुदधृत निवेश की कुल राशि	**730.8**	605.8
उदधृत निवेश की कुल राशि (बाजार मूल्य : 435.7 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 377.5 मिलियन रुपए), (5.8 मिलियन यूरो के समतुल्य) (पिछले वर्ष : 5.6 मिलियन यूरो)	**7.6**	7.6

नोट ''10'' : ऋण एवं अग्रिम

(रुपए मिलियन में)

विवरण		दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	
		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
पूंजी अग्रिम					
अरक्षित एवं खरे माने गए		**3,526.9**	1,569.7	**-**	-
संदेहास्पद		**7.6**	7.6	**-**	-
		3,534.5	1,577.3	**-**	-
घटा : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		**7.6**	7.6	**-**	-
	(क)	**3,526.9**	1,569.7	**-**	-
प्रतिभूति जमा					
अरक्षित व खरे माने गए		**5,385.3**	4,799.9	**220.5**	144.7
संदेहास्पद		**43.4**	43.5	**-**	-
		5,428.7	4,843.4	**220.5**	144.7
घटा : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		**43.4**	43.5	**-**	-
	(ख)	**5,385.3**	4,799.9	**220.5**	144.7
सहायक कंपनियों को अग्रिम*					
अरक्षित एवं खरे माने गए	**(ग)**	**19,294.2**	19,961.2	**-**	-
नकद या वस्तुओं के रूप में वसूली योग्य अग्रिम					
अरक्षित एवं खरे माने गए		**11,798.9**	11,733.8	**4,643.6**	2,905.2
संदेहास्पद		**572.1**	594.0	**-**	-
		12,371.0	12,327.8	**4,643.6**	2,905.2
घटा : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		**572.1**	594.0	**-**	-
	(घ)	**11,798.9**	11,733.8	**4,643.6**	2,905.2
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम					
रक्षित ऋण जो खरे माने गए		**0.2**	0.2	**-**	-
अरक्षित अग्रिम जो खरे माने गए		**23.7**	20.8	**373.0**	253.6
संदेहास्पद		**22.3**	19.5	**-**	-
		46.2	40.5	**373.0**	253.6
घटा : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		**22.3**	19.5	**-**	-
	(ङ)	**23.9**	21.0	**373.0**	253.6
अन्य ऋण एवं अग्रिम					
अरक्षित व खरे माने गए					
आयकर तथा टीडीएस का अग्रिम भुगतान (कराधान हेतु प्रावधान का निवल)		**1,129.0**	854.5	**469.8**	341.3
पूर्वप्रदत्त व्यय		**10.8**	161.6	**1,011.9**	1,156.1
सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष		**2,433.9**	2,262.0	**-**	-
	(च)	**3,573.7**	3,278.1	**1,481.7**	1,497.4
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च)		**43,602.9**	41,363.7	**6,718.8**	4,800.9

* **सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिम का विवरण निम्नानुसार है :**

सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
1. एअर इंडिया चार्टर्स लि0	**6,757.8**	9,041.7
2. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसिस लि0	**1,774.7**	-
3. होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	**1,264.3**	1,374.3
4. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0	**9,497.4**	9,545.2
कुल	**19,294.2**	19,961.2

नोट 11: व्यापार प्राप्य

(रुपए मिलियन में)

विवरण	गैर चालू प्राप्य		चालू प्राप्य	
	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को	**31 मार्च 2016 को**	31 मार्च 2015 को
भुगतान की तिथि से छह माह से अधिक के लिए बकाया				
रक्षित व खरे माने गए*	**-**	-	**50.1**	42.1
अरक्षित व खरे माने गए	**44.3**	22.1	**8,120.1**	10,261.0
संदेहास्पद	**7,045.2**	6,091.8	**-**	-
	7,089.5	6,113.9	**8,170.2**	10,303.1
घटा : संदेहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	**7,045.2**	6,091.8	**-**	-
(क)	**44.3**	22.1	**8,170.2**	10,303.1
अन्य प्राप्य				
रक्षित व खरे माने गए*	**-**	-	**580.3**	381.7
अरक्षित व खरे माने गए	**3.1**	-	**10,279.6**	10,204.7
संदेहास्पद	**20.6**	99.3	**-**	-
	23.7	99.3	**10,859.9**	10,586.4
घटा : संदेहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	**20.6**	99.3	**-**	-
(ख)	**3.10**	-	**10,859.9**	10,586.4
कुल (क + ख)	**47.4**	22.1	**19,030.1**	20,889.5

* 630.4 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 423.8 मिलियन रुपए) के व्यापार प्राप्य बैंक गारंटी प्राप्त हैं।

नोट ''12'' : अन्य परिसंपत्तियां

(रुपए मिलियन में)

विवरण	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		अन्य चालू परिसंपत्तियां	
	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को	**31 मार्च, 2016 को**	31 मार्च, 2015 को
1. जमा–अन्य (12 माह से अधिक की परिपक्वता)	**33.6**	5.0	**-**	-
घटाकर : संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	**0.1**	0.1	**-**	-
	33.5	4.9	**-**	-
2. <u>उपचित ब्याज</u>				
I) सावधिक जमा	**-**	-	**45.1**	36.4
ii) कर्मचारियों को ऋण	**3.3**	6.1	**13.5**	17.2
iii) सहायक कंपनियों को अग्रिम *	**-**	-	**2,261.4**	2,644.1
	3.3	6.1	**2,320.0**	2,697.7
3. अधिशेष परिसंपत्तियाँ/विक्रय के लिए परिसम्पत्तियां	**105.7**	171.0	**62,777.7**	229.1
घटा : परिसंपत्तियों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**105.7**	171.0	**-**	-
	-	-	**62,777.7**	229.1
4 अन्य गैर व्यापार प्राप्य				
अरक्षित, खरे माने गए	**-**	-	**12,502.3**	5,873.3
संदेहास्पद	**2,569.0**	2,580.5	**-**	-
	2,569.0	2,580.5	**12,502.3**	5,873.3
घटा : संदेहास्पद प्राप्यों हेतु प्रावधान	**2,569.0**	2,580.5	**-**	-
	-	-	**12,502.3**	5,873.3
कुल	**36.8**	11.0	**77,600.0**	8,800.1

* सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिम पर उपार्जित ब्याज का विवरण निम्नानुसार है:–

सहायक कंपनी का नाम	**31 मार्च 2016 को**	31 मार्च 2015 को
1. एअर इंडिया चार्टर्स लि0	**957.6**	1,485.7
2. भारतीय होटल निगम लि0	**190.6**	123.7
3. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	**1,113.2**	1,034.7
कुल	**2,261.4**	2,644.1

** अन्य चालू परिसम्पतियां जिनमें विमान को विक्रय के लिए परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (नोट सं0 31 देखें)

नोट ''13'' : इनवेंटरी (प्रबंधन द्वारा ली गई, मूल्यांकित तथा प्रमाणित)

(रुपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे	**17,370.0**	16,064.9
अबद्ध औज़ार	**804.2**	195.2
	18,174.2	16,260.1
घटा : अप्रचलन/इनवेंटरी समाधान के लिए प्रावधान	**4,360.2**	5,202.3
	13,814.0	11,057.8
मार्गस्थ सामग्री	**1,197.1**	1,197.4
कुल	**15,011.1**	12,255.2

* भंडार एवं कल–पुर्जों के तहत 2,475.6 रुपए की राशि सम्मिलित है जो सहायक कंपनी एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड के पास पड़ी इनवेंटरियों के वर्क आर्डर सस्पेंस अकाउंट से संबंधित है।

नोट ''14'' : नकदी और बैंक में शेष

(रुपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
नकदी व नकदी समतुल्य		
1. **बैंक में शेष :**		
क) चालू खातों में	**3,429.6**	2,250.7
ख) जमा खाते में (12 माह से कम परिपक्वता)*	**1,786.6**	1,749.1
2. हाथ में चैक तथा ड्राफ्ट	**122.1**	75.3
3. हाथ में रोकड़ (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)	**26.8**	38.9
(क)	**5,365.1**	4,114.0
बैंक में अन्य शेष		
1. मार्जिन जमा राशि	**2,689.8**	2,117.1
(ख)	**2,689.8**	2,117.1
कुल (क + ख)	**8,054.9**	6,231.1

नोट ''15'' प्रचालन से राजस्व

(रुपए मिलियन में)

विवरण		2015-16	2014-15
i)	**अनुसूचित यातायात सेवाएं**		
1	यात्री	**156,562.5**	157,933.6
2	अतिरिक्त सामान	**1,176.1**	1,259.7
3	डाक	**900.1**	796.4
4	कार्गो	**10,545.4**	11,550.3
	(क)	**169,184.1**	171,540.0
ii)	**गैर–अनुसूचित यातायात सेवाएं**		
1	चार्टर	**10,753.4**	11,363.1
2	ब्लॉक सीट व्यवस्था	**419.7**	583.9
3	सरकार से प्रचालन के लिए सब्सिडी	**167.4**	-
	(ख)	**11,340.5**	11,947.0
iii)	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
1	हैंडलिंग तथा सर्विसिंग	**1,267.6**	374.6
2	निर्माताओं का क्रेडिट	**2,728.2**	2,240.2
3	प्रासंगिक	**11,381.5**	8,004.8
4	एअर इंडिया चार्टर्स लि0 से राजस्व शेयर (पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक कंपनी)	**3,500.0**	3,270.6
5	एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि0 से राजस्व शेयर (पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक कंपनी)	**521.4**	639.9
	(ग)	**19,398.7**	14,530.1
	कुल (क + ख+ग)	**199,923.3**	198,017.1

नोट ''16'' : अन्य आय

(रुपए मिलियन में)

विवरण		2015-16	2014-15
1	ब्याज आय :		
	क) बैंक जमा पर	**274.8**	251.1
	ख) अन्य पर	**31.4**	136.2
	ग) सहायक कंपनियों को अग्रिम पर	**2,261.4**	2,644.1
2	दीर्घावधि निवेश से प्राप्त लाभांश (व्यापार)	**97.6**	106.5
3	एअर इंडिया बिल्डिंग से किराया	**624.8**	393.7
4	परिसम्पत्तियों के विक्रय से लाभ (निवल)*	**2,047.8**	4,582.9
	कुल	**5,337.8**	8,114.5

*** परिसम्पत्तियों (निवल) की बिक्री से लाभ में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–**

क) 1 बी787–800 ड्रीमलाइनर विमान (गत वर्ष: 4 बी787–800) की बिक्री एवं लीज़ बैक से 1,342.8 मिलियन रुपए (गत वर्ष: 4,047.3 मिलियन रुपए) का लाभ (संदर्भ नोट : 42 बी ए)

ख) स्टर्लिंग अपार्टमेंट मुम्बई के चार फ्लैटों की बिक्री पर 640.6 मिलियन रुपए का लाभ।

ग) एक जीई इंजन की बिक्री पर 82.6 मिलियन रुपए का लाभ।

नोट ''17'' : अन्य प्रचालनात्मक व्यय

(रुपए मिलियन में)

	विवरण	2015-16	2014-15
1	बीमा	**1,513.1**	1,474.2
2	उपभुक्त सामग्री – विमान	**4,175.1**	9,037.9
3	बाहर से कराई गई मरम्मत – विमान	**17,080.1**	13,764.1
4	मार्ग निर्देशन, लैंडिंग हाउसिंग व पार्किंग	**15,940.9**	14,537.5
5	विमान किराए पर लेना	**11,738.0**	10,982.7
6	हैंडलिंग प्रभार	**11,173.8**	10,766.0
7	यात्री सुविधाएं	**8,256.8**	7,225.4
8	बुकिंग एजेंसी कमीशन (निवल)	**4,031.7**	3,960.9
9	संप्रेषण प्रभार		
	i) आरक्षण प्रणाली	**8,647.1**	7,345.2
	ii) अन्य	**1,885.4**	1,697.9
	कुल	**84,442.0**	80,791.8

नोट ''18'' : कर्मचारी लाभ व्यय

(रुपए मिलियन में)

	विवरण	2015-16	2014-15
1	वेतन, मजदूरी और बोनस	**11,995.3**	12,924.9
2	क्रू भत्ते	**8,132.9**	7,841.0
3	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**776.4**	1,021.5
4	कर्मचारी कल्याण व्यय	**1,340.2**	1,277.2
5	उपदान हेतु प्रावधान	**426.4**	609.1
6	छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**434.0**	492.7
7	सेवानिवृत्ति लाभ हेतु प्रावधान	**350.0**	500.0
	कुल	**23,455.2**	24,666.4

नोट ''19'' : वित्तीय लागत

(रुपए मिलियन में)

	विवरण	2015-16	2014-15
1	ब्याज :		
	क) डिबेंचर पर	**12,817.6**	12,801.8
	ख) ऋण पर	**24,194.4**	23,164.1
		37,012.0	35,965.9
2	अन्य उधार लागत	**5,240.9**	1,670.5
3	विलम्बित भुगतान पर ब्याज	**2,487.1**	2,646.4
	कुल	**44,740.0**	40,282.8

नोट ''20'' : मूल्यह्रास तथा ऋण चुकौती व्यय

(रुपए मिलियन में)

	विवरण	2015-16	2014-15
1	मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	**18,379.4**	18,809.0
2	अमूर्त परिसंपत्तियों की ऋण चुकौती	**599.6**	598.0
	(क)	**18,979.0**	19,407.0
	घटा :पूंजी आरक्षित से क्षतिपूर्ति (संदर्भ नोट 3)	**301.2**	199.6
	(ख)	**301.2**	199.6
	कुल (क – ख)	**18,677.8**	19,207.4

नोट ''21'' : अन्य व्यय

(रुपए मिलियन में)

	विवरण	2015-16	2014-15
1	यात्रा व्यय		
	i) क्रू	**1,862.2**	1,809.4
	ii) अन्य	**696.5**	851.4
2	किराया	**927.4**	999.0
3	दरें तथा कर	**135.1**	331.1
4	निम्नलिखित की मरम्मतः		
	i) भवन	**219.3**	140.4
	ii) अन्य	**1,389.8**	1,347.2
5	परिवहन का किराया	**652.7**	711.4
6	विद्युत एवं तापन प्रभार	**453.9**	619.3
7	जल प्रभार	**11.0**	18.2
8	निदेशकों का शुल्क	**0.4**	0.9
9	प्रचार तथा विक्रय संवर्धन	**914.5**	618.7
10	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**136.7**	155.2
11	विधिक प्रभार	**159.0**	122.5
12	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तथा व्यय (संदर्भ नोट सं0 50)		
	i) लेखा परीक्षा शुल्क	**10.5**	7.5
	ii) अन्य खर्चे	**1.4**	4.8
13	अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान तथा अग्रिम	**1,468.5**	1,128.0
14	पुनरांकित/बट्टे खाते में डाली गई अप्रचलित इंनवेंटरी	**(917.1)**	11.2
15	ब्लॉक सीट व्यवस्था पर व्यय	**351.9**	458.9
16	मुद्रा विनिमय अंतर (निवल)	**3,516.1**	2,929.0
17	बैंक प्रभार	**778.6**	803.0
18	विविध व्यय	**1,684.8**	1,426.3
	कुल	**14,453.2**	14,493.4

नोट ''22'' : पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(रुपए मिलियन में)

विवरण		2015-16	2014-15
राजस्व शीर्ष			
1)	यात्री राजस्व	**(1.4)**	(222.0)
2)	कार्गो राजस्व	**0.9**	11.0
3)	डाक	**17.5**	7.7
4)	हैंडलिंग, सर्विसिंग तथा प्रासंगिक राजस्व	**6.9**	5.5
5)	अन्य	**298.6**	(120.9)
		322.5	(318.7)
	(क)		
व्यय शीर्ष			
1)	हैंडलिंग प्रभार	**4.8**	57.7
2)	मूल्यह्रास	**(947.8)**	(31.8)
3)	भंडार एवं उपकरण	**(378.5)**	52.8
4)	यात्री सुविधाएं	**67.3**	(9.6)
5)	प्रचार	**7.1**	13.7
6)	विमान ईंधन तथा तेल	**1.5**	(157.8)
7)	बीमा	**11.8**	(151.6)
8)	वेतन/कर्मचारी कल्याण व्यय	**1,030.2**	58.2
9)	लैंडिंग, पार्किंग तथा नेवीगेशन	**8.6**	15.0
10)	कमीशन	**0.4**	42.1
11)	संचार प्रभार	**30.5**	80.0
12)	किराया, दरें तथा कर	**(45.2)**	9.0
13)	मुद्रा, विनिमय परिवर्तन	**(5.1)**	225.9
14)	विधिक प्रभार	**10.0**	0.4
15)	ब्याज	**67.3**	208.6
16)	अन्य (निवल)	**(149.3)**	(2.7)
	(ख)	**(286.4)**	409.9
	कुल (ख – क)	**(608.9)**	728.6

नोट ''23'' : आपवादिक मदें (निवल)

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2015-16	2014-15
1 इनवेंटरी माइग्रेशन अधिशेष/रिटन बैक	-	403.1
2 प्रावधान अपेक्षित नहीं पुनरांकन	**773.2**	1,544.1
3 बी–777–200 एलआर विमान की बिक्री से हानि	-	(2,475.4)
कुल	**773.2**	(528.2)

नोट ''24'' : असाधारण मदें (निवल)

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2015-16	2014-15
1 वेंडरों से लिक्वीडेटिड डेमेज/क्षतिपूर्ति (संदर्भ नोट 30 क)	**69.0**	459.3
2 कार्गो स्पर्धारोधी मामले का निपटान (संदर्भ नोट सं0 46 क)	**(857.8)**	-
कुल	**(788.8)**	459.3

वित्तीय वितरण का भाग बनाने वाली टिप्पणियां :

25. आकस्मिक देयताएं जिनकी व्यवस्था नहीं की गई :

क) कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (जहां लागू होने की संभावना हो वहां ब्याज और पेनल्टी को छोड़कर) तथा जिस पर मात्रात्मक रूप में एवं अभिनिश्चित किए जाने की सीमा तक दावा किया जा रहा है :

(रुपए मिलियन में)

सं0	विवरण	**2015–16**	2014–15
(i)	विमान में बोर्डिंग से मना करने, यात्री के सामान खो जाने, सामान की हैंडलिंग सही न होने, विलंबित उड़ान, उड़ानों के रद्द हो जाने, क्षतिग्रस्त परेषित माल तथा कार्गो के देर से प्राप्त होने आदि के कारण दावे ।	**341.9**	335.8
(ii)	कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस जिनकी अपील की गई है।	**1,168.3**	468.6
(iii)	कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क तथा सेवा कर ।	**6,944.1**	1,989.3
(iv)	नगर–निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर ।	**140.0**	5,000.6
(v)	लाइसेंस शुल्क, एक्स–रे, टीएनएलसी, लैंडिंग प्रभार, पार्किंग प्रभार, उगाही आदि के दावे।(*)	**5,298.0**	5,009.6
(vi)	अन्य दावे :–		
	क) कर्मचारी/सिविल/मध्यस्थता/कोर्ट में लंबित श्रमिक मामले	**1,245.5**	1,246.6
	ख) वसंत विहार संपत्ति के संबंध में दावे (**)	**3,736.0**	3,736.0
(vii)	सरकारी गारंटी फीस (***)		
	क) लागू दर तथा 0.5% की दर जिसमें गारंटी शुल्क दिया गया है के बीच का अंतर	**1,526.7**	4,171.2
	ख) अतिरिक्त गारंटी फीस	**8,014.9**	6,043.8
(viii)	जस्टिस धर्माधिकारी कमेटी रिपोर्ट के अनुसरण में वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के कारण कर्मचारियों के अनुमानित दावे। कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया है (****)	**निश्चित नहीं**	निश्चित नहीं
	कुल	**28,415.4**	23,239.5

<u>आकस्मिक देयताओं के संबंध में स्पष्टीकरण विवरण</u>

क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (*): एआई तथा एएआई के बीच दिनांक 28 अगस्त 13 के समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2012–13 के लिए एएआई को विलम्बित भुगतान के ब्याज के 760.0 मिलियन रुपयों की राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। चूंकि एआई ने एएआई को देय विलम्बित भुगतान के ब्याज पर भुगतान करने में सहमति नहीं दी है। एआई को एएआई से विलम्बित भुगतान पर कोई ब्याज की मांग/दावा प्राप्त नहीं हुआ है तथा जब भी प्राप्त होगा उस का विरोध किया जाएगा।

ख) **वसंत विहार कॉलोनी पर दावा (**):** एल एंड डीओ ने दिनांक 26.11.2014 के नोटिस के तहत 3736 मिलियन रुपयों (गत वर्ष 3,736 मिलियन रुपए) की राशि के अप्राधिकृत कब्जे संबंधी प्रभार की मांग उठाई है, जिसका कंपनी ने विरोध किया है क्योंकि यह मांग उनके अपने उल्लघंन/नोटिस तथा इस पर एअर इंडिया के उत्तर पर विचार किए बिना ही की गई है अतः इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।

ग) **सरकारी गारंटी शुल्क (***):** कंपनी ने सरकार द्वारा गारंटीकृत सभी विमान ऋणों तथा कार्यशील पूंजी ऋणों पर 0.5% की दर से गारंटी शुल्क दिया है। कंपनी ने कार्यशील पूंजी तथा ईसीबी ऋणों के संबंध में 0.5% से अधिक गारंटी को वेब ऑफ करने के लिए नागर विमानन/वित्त मंत्रालय के साथ मुद्दा उठाया है। तदनुसार 1,526.7 मिलियन रुपयों (गत वर्ष 4,171.2 मिलियन रुपए) की राशि के 0.5% से अधिक के गारंटी शुल्क को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। साथ ही विलम्बित भुगतान के कारण अतिरिक्त देयता की 8,014.9 मिलियन रुपए की राशि (गत वर्ष 6,043.8 मिलियन रुपए) को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।

घ) **कर्मचारियों के अनुमानित दावे (****):** जस्टिस धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों पर आधारित, संशोधित मूलवेतन (आरबीपी) को विभिन्न तिथियों सें अधिकतर श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया है। तथापि इसे शेष श्रेणियों जिसमें वाइड बॉडी विमान के पायलट (गैर–एग्जीक्यूटिव) तथा केबिन क्रू (गैरप्रबंधकीय) सम्मिलित हैं के लिए कार्यान्वित किया जाना शेष है। इन शेष श्रेणियों के कर्मचारियों ने एसएलपी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में इन सिफारिशों के कार्यान्वयन का विरोध किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का निपटान करने के लिए मामला तीन माननीय न्यायाधीशों की खण्डपीठ को सौंप दिया है।

सभी श्रेणियों के कर्मचारियों (भुगतान हेतु शेष श्रेणियों सहित) को देय कुल राशि, यदि कोई है, का पूर्वाकलन नहीं लगाया जा सकता जब तक की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ अनुबंध न कर लिया जाए। पिछले वर्ष के लेखों में दिखाई गई आकस्मिक राशि मोटे तौर पर अनुमानित थी, अतः अब इसे हटा दिया गया है। इसको देखते हुए तथा मामले के न्यायाधीन होने के कारण अंतिम रूप से देय राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

ख) अपनी पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा प्रदान की गई निगमित गारंटी तथा सहायता पत्र :

(रुपए मिलियन में)

	विवरण	**2015–16**	2014–15
i)	एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	**4,195.6**	2,500.0
ii)	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि.	**2,462.2**	2,274.9

26. (i) **पूंजी प्रतिबद्धताएं** : पूंजीगत लेखों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

(रुपए मिलियन में)

विवरण		**2015–16**	2014–15
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं			
i)	विमान परियोजना के लिए	**110,709.6**	92,213.2
ii)	सब्सिडरी कंपनियों की इक्विटी के लिए	–	11,630.1
iii)	अन्य	**2,100.6**	1,116.3
कुल		**112,810.2**	104,959.6

(ii) **अन्य दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं:** 14ए–320 एनईओ विमानों को 12 वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन लीज़ पर लेने के लिए अनुबंध किया गया है जिनकी अनुसूचित डिलीवरी जनवरी 2017 से शुरू होकर फरवरी 2019 तक होगी। वर्ष 2015–16 के दौरान 46.4 मिलियन रुपए की राशि की प्रतिभूति जमा राशि दी गई तथा वर्ष 2016–17 के दौरान 231.9 मिलियन रुपयों की एक और प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान किया गया। इन विमानों का लीज़ किराया 0.37 मिलियन यूएसडी प्रति विमान प्रति माह है।

27. स्थिर परिसंपत्तियां

(क) एअर इंडिया लिमिटेड की भूमि (पूर्ण स्वामित्व वाली/लीज़होल्ड) तथा भवन में 76,463.5 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 75,926.5 मिलियन रुपए) का ग्रॉस ब्लाक सम्मिलित है जिसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी अभी शेष हैं, साथ ही कुछ मामलों में, हक विलेख कंपनी के कब्जे में नहीं है।

(ख) एअर इंडिया लिमिटेड ने नेरुल की भूमि के एक हिस्से के 28,626 वर्ग मीटर क्षेत्र में 508 फ्लैटों का निर्माण किया गया तथा इन फ्लैटों को कंपनी के कर्मचारियों तथा नागर विमानन मंत्रालय के अधीन संगठनों को बेचने का निर्णय लिया गया । मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, कंपनी द्वारा निर्मित 508 फ्लैटों में से 332 फ्लैटों के आबंटन पत्र जारी कर दिए गए तथा 280 फ्लैटों का कब्जा सौंप दिया गया। तथापि संबंधित भूमि के टाइटल स्वामित्व को सोसाइटी, एअर इंडिया और सीआईडीसीओ के बीच त्रिपक्षीय हस्तांतरण विलेख के द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है जोकि अब तक नहीं हुआ है। अतः प्रबंधवर्ग के मत के अनुसार पंजीकृत सोसाइटियों के पक्ष में भूमि की हकदारी का हस्तांतरण लंबित होने के कारण, एअर इंडिया के पक्ष में संबंधित भूमि का टाइटल जारी रहेगा। बेचे गए फ्लैटों के संबंध में संबंधित सदस्यों से प्राप्त 416.3 मिलियन रुपए की विक्रय प्राप्तियों को लागत में दर्ज नहीं किया गया है और उसे ''अन्य गैर–चालू देयताओं'' के रूप में वहन किया जा रहा है। भूमि की लागत तथा निर्माण की लागत को स्थायी परिसंपत्तियों में लिया जा रहा है । इन औपचारिकताओं के पूरा होने पर, आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां (76.8 मिलियन रुपयों की राशि के मूल्यह्रास के निराकरण (reversal) सहित है) बही खातों में कर दी जाएंगी।

(ग) दीर्घकालिक ऋणों तथा अग्रिम में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु नेरूल (उपर्युक्त–ख को छोड़कर) में लीज़ पर एक और प्लाट के क्रय के लिए कंपनी द्वारा सीआईडीसीओ को अग्रिम के रूप में दी गई में 24.6 मिलियन रुपए की राशि (पिछले वर्ष 24.6 मिलियन रुपए) सम्मिलित है। तथापि सीआईडीसीओ द्वारा आबंटित इस प्लाट का कब्जा एअर इंडिया को नहीं सौंपा गया है तथा कोई अनुबंध/लीज़ डीड अभी तक नहीं की गई है।

(घ) विभिन्न स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में मात्रा/स्थान/क्रय की तिथि संबंधी उपलब्ध मदवार विवरण सैप में हस्तांतरित कर दिए गए हैं। कुछ मामलों में परिसंपत्तियों के ब्लॉक को एक मद के रूप में सैप में हस्तांतरित किया गया था। तथापि बाद में अधिकतर ऐसी मदों के लाइनवार विवरण को सैप में अद्यतन कर दिया गया था किन्तु कुछ मदों को अद्यतन अभी किया जाना अभी शेष है।

(ड.) पहचान किए गए घटकों के संदर्भ में स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर को अद्यतन किया जा रहा है।

28. प्रत्यक्ष सत्यापन तथा मिलान

(क) **स्थिर परिसंपत्तियां**

एअर इंडिया की मुख्य परिसंपत्तियों जैसे एयरफ्रेम, एयरो–इंजन, एपीयू तथा सिमुलेटर, का प्रत्यक्ष सत्यापन तथा मिलान वर्ष के अंत में किया गया तथा इसका मिलान पूर्ण कर लिया गया है साथ ही नियंत्रक विभागों के रिकार्डों की तुलना में वित्तीय बही खातों के अनुसार भूमि तथा भवन का मिलान भी किया गया। यह परिसंपत्तियां कुल मिलाकर सकल पूंजी का लगभग 93% हैं। इनमें कोई बड़ी अनियमितताएं नहीं पाई गई।

तथापि अन्य परिसंपत्तियों जो सकल ब्लॉक का लगभग 7% है का प्रत्यक्ष सत्यापन द्विवार्षिक अवधि के तहत आता है, तदनुसार 2014–16 की द्विवार्षिक अवधि का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रगति पर है।

(ख) **इनवेंटरी**

द्विवार्षिक अवधि 2014–16 के लिए इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रगति पर है।

29. ऋण एवं अग्रिम –एसएफआईएस स्क्रिप्स

कंपनी को सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जारी की गई थी। 31 मार्च, 2015 के अनुसार वर्ष 2007–08, 2009–10 तथा 2010–11 के लिए उपयोग में नहीं लाई गई इन स्क्रिपों की राशि 11,551.5 मिलियन रुपए थी। कंपनी उपयोग में नहीं लाई गई स्क्रिपों की सीमा बढ़ाने/नवीकरण के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामले पर सक्रियता से अनुवर्ती कार्य कर रही है जिसके कारण वित्त वर्ष 2007–08 के लिए कंपनी को मई/जून 2016 में 3,000.0 मिलियन रुपयों की एसएफआईएस स्क्रिप जारी की गई। कंपनी 8,551.5 मिलियन रुपयों की शेष राशि की स्क्रिपों की सीमा बढ़ाने/ नवीकरण के लिए पूरे प्रयास कर रही है।

30. क्षतिपूर्ति/क्रेडिट

(क) **<u>विलम्ब से डिलीवरी के कारण क्षतिपूर्ति</u>**

एअर इंडिया ने 787 विमानों की डिलीवरी में हुए विलंब के लिए पूर्ण और अंतिम निपटान हेतु बोइंग के साथ दिनांक 05 सितम्बर, 2012 को विलंब निपटान करार पर हस्ताक्षर किए। विलंब निपटान के अनुसार दिसम्बर, 2005 में बोइंग के साथ किए गए मूल क्रय करार के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान के अतिरिक्त बोइंग बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के लिए सहमत हो गया था जो केवल विमान की डिलीवरी पर ही एयरलाइंस को प्राप्त होगी। एआई द्वारा विमान की डिलीवरी के रद्दकरण बोइंग, एआई को मूल क्रय करार के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान ही प्रदान करेगी तथा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति नहीं देगी। एआई को चालू वर्ष के दौरान 1 (एक) बोइंग बी 787 की डिलीवरी प्राप्त हुई है। डिलीवरी पर एक क्रेडिट नोट के माध्यम से बढ़ी हुई प्रतिपूर्ति के रूप में बोइंग द्वारा उपलब्ध कराई गई 69.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 7 विमानों के लिए 459.3 मिलियन रुपए) की राशि को असाधारण आय के अंतर्गत लिया गया तथा डेबिट को अन्य परिसंपत्तियों – गैर व्यापार प्राप्यों के अंतर्गत दर्शाया गया।

(ख) **<u>जी ई की ओर से ईंधन खपत भत्ता</u>**

बी 787 बोइंग तथा एअर इंडिया लि. के साथ किया गया क्रय करार विमान के निष्पादन के संबंध में पक्की ईंधन खपत गारंटी प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2015–16 तक प्राप्त गारंटी से कम ईंधन खपत को विविध आय के रूप में लिया गया है ताकि ईंधन खपत के कारण एआई द्वारा वहन की गई अतिरिक्त ईंधन लागत को बराबर किया जा सके।

बी 787 विमान के इंजन निर्माता जीई एअर इंडिया को डिलीवर किए गए 21 बी 787 विमानों में लगाए गए ब्लॉक 4 इंजनों और पीआईपी 1 इंजनों के संबंध में एअर इंडिया को ईंधन खपत भत्ते की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गए हैं। तदनुसार वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान ईंधन खपत भत्तों को विविध आय के रूप में लिया गया तथा डेबिट को ''अन्य परिसंपत्तियां–गैर व्यापार प्राप्य'' के अंतर्गत दर्शाया गया।

31. बी–787–800 ड्रीमलाइनर विमान का विक्रय तथा लीज़ बैक

एअर इंडिया की अनुमोदित टर्नअराउंड योजना के संदर्भ में, 27 बी–787–800 ड्रीमलाइनर विमानों को केवल विक्रय तथा लीज़ बैक (एसएलबी) आधार पर ही विमान बेड़े में शामिल किया जाना था तथा निदेशक मंडल द्वारा इस पर दिनांक 14 मई 2012 को हुई 45वीं बैठक में चर्चा की गई तथा अनुमोदन दिया गया। 27 विमानों में से 12 विमानों के लिए पूर्व के वर्षो में ही एसएलबी पूरी कर दी गई । मार्च 2014 से जून 2015 की अवधि के दौरान एअर इंडिया को सौंपे गए 9 बी 787–8 विमानों के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा 23 नवम्बर, 2015 को हुई बैठक में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा दी गई गारंटी पर सेल तथा लीज़ बैक के लेन–देन के लिए अंतिम रूप से अनुमोदन दे दिया गया। तदनुसार भारत सरकार (जीओआई) से जनवरी 16 में इन 9 विमानों से संबंधित एसएलबी गारंटी जारी करने का अनुरोध किया गया किन्तु भारत

सरकार गारंटी आखिर 23 जून 2016 को जारी की गई। भारत सरकार से गारंटी प्राप्त करने के तत्काल बाद 8 अगस्त, 2016 को इन 9 विमानों का एसएलबी लेन–देन पूरा कर लिया गया।

चूंकि 9 बी 787–800 विमानों के एसएलबी के लिए 31 मार्च 2016 से पहले ही आदेश दे दिए गए थे तथा वास्तविक लेन–देन तुलनपत्र की तिथि के बाद किन्तु निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन से पहले किया गया, इसलिए इन 9 विमानों को बही लेखों में चालू परिसंपत्तियों के रूप में 1 अप्रैल 2015 से दर्ज किया गया। तद्नुसार इन विमानों को 'विक्रय हेतु परिसंपत्तियों' के रूप में दर्शाया गया है तथा इन पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है।

32. कंपोनेन्ट परिसंपत्तियां

2015–16 से अनुसूची II में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, अलग–अलग उपयोगी समय (useful lives) के मुख्य कंपोनेन्टस को अलग परिसंपत्तियों के रूप माना जाए। तद्नुसार इस कारण वर्ष का मूल्यह्रास अधिक तथा विमान अनुरक्षण व्यय कम है अतः इस की तुलना पिछले वर्ष के आंकड़ों से नहीं की जा सकती।

33. विनिमय दर पर परिवर्तन का प्रभाव (एएस–11)

(क) लगातार अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्त व्यवस्था/बिक्री से पहले की अवधि के दौरान विमानों की खरीद हेतु लिए गए ब्रिज लोन (अल्पकालिक ऋण) को ऋण मानती है। इस प्रकार इन्हें संशोधित एएस–11 के अंतर्गत पूंजीकरण करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक वित्तीय मदों (monetory items) के रूप में लिया जाता है।

(ख) लेन–देन की जटिलताओं के कारण, एएस–11 के प्रावधानों के अनुरूप विदेशी इनवेंटरी प्रापण संबंधी लेन–देन को लेन–देन की तिथि पर अंतरित नहीं किया गया है। इस अंतरण के प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथापि इसके कार्यान्वित होने की संभावना नहीं भी हो सकती है।

34. पुष्टि/मिलान

(क) मिलान नहीं किए गए प्राप्यों और देयों (लाइन मदों के बजाए ब्लॉक स्तर पर सैप में हस्तांतरित मदों सहित) की पहचान की प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है। मिलान के कारण होने वाले परिणामी समायोजन का यदि कोई प्रभाव है, तो उसे मिलान पूरा होने वाले वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

(ख) कंपनी ने तेल विपणन कंपनियों सहित अधिकतर प्राप्य तथा देयों के लिए शेषों की पुष्टि मांगी है, तथापि कुछ पार्टियों ने ही जबाब दिया है। पार्टियों द्वारा पुष्टि किए गए जो भी शेष अनुबंध में नहीं है उनका मिलान प्रक्रिया के अधीन है।

(ग) सेवा कर जिस पर इनपुट क्रेडिट लिया जाना है, के सहित स्रोत पर कटौती (टीडीएस), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस), व्यवसाय कर, एयरपोर्ट कर तथा राजस्व संबंधी करों का मिलान किया जा रहा है जो फाइल की गई रिटर्न/रखे गए सांविधिक रिकार्ड के अनुसार होगा।

35. आंतरिक नियंत्रण

(क) कंपनी ने बाहरी चार्टर्ड एकाउटेंट फार्मों की नियुक्ति की है ताकि अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा नियंत्रण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए जिससे न्यूनतम लेखा परीक्षा कार्यक्रम में निहित सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जा सके तथा सभी स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रयोगकर्त्ता विभागों तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

36. नकदी तथा बैंक शेष में अनियमितताएं

(क) वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान एअर इंडिया लि. को सिडनी में एयूडी 202,002.63 अर्थात 9.8 मिलियन रुपए के बराबर नकद राशि में कमी का पता लगा। तथापि आवश्यक मिलान करने के पश्चात 31 मार्च 2016 के अनुसार एयूडी 115, 869.26 अर्थात 5.9 मिलियन रुपए की नकद राशि का मिलान नहीं हो पा रहा था इसका आगे मिलान किया जा रहा है। तथापि 31 मार्च 2016 को इस राशि का पूरा प्रावधान बही खातों में कर दिया गया है।

(ख) मास्को स्टेशन पर नकद के संबंध में कुछ अनियमितताओं की जानकारी प्रबंधन को मिली थी जिसकी जांच की गई तथा पाया गया कि राजस्व कलेक्शन तथा पेटी कैश की राशि के आरयूबी 4,580,098.21 अर्थात 4.4 मिलियन रुपयों को जमा करने में अनियमितता हुई है। सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार राशि की वसूली स्टेशन प्रबंधक के वेतन/अंतिम निपटान की देय राशि से की जाएगी।

(ग) कोलकाता के एक कर्मचारी द्वारा वित्त वर्ष 2005–06 से वित्त वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान 11.0 मिलियन रुपए की राशि के निधि–दुर्विनियोजन की पहचान की गई। कथित कर्मचारी के विरूद्ध एफआईआर दायर की गई तथा दिनांक 26.06.2012 को सतर्कता की सलाह पर सीबीआई के पास मामला दायर किया गया। कर्मचारी से 4.8 मिलियन रुपए की राशि अभी तक वसूल/समायोजित की गई है। शेष राशि की वसूली हेतु कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान धन का मुकदमा (money suit) दायर किया है।

(घ) वर्ष 2015–16 के दौरान कोलकाता में एक ट्रांसपोर्टर द्वारा 1.0 मिलियन रुपए की अनुमानित राशि के कपटपूर्ण दावे की प्रबंधन द्वारा पहचान की गई थी। कथित कपट की जानकारी मिलने पर विक्रेता के साथ कान्ट्रेक्ट को समाप्त कर दिया गया तथा वसूली के लिए जमानत के रूप में उनके बकाया बिलों को रोक दिया गया।

(ड.) मई 2011 से सितम्बर, 2014 की अवधि के दौरान सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा 8.6 मिलियन रुपए की राशि के निधि दुर्निवियोजन की पहचान वर्ष 2014–15 में कोलकाता में की गई, इसमें से 1.3 मिलियन रुपयों की वसूली 2014–15 में की गई तथा वसूली योग्य शेष राशि का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया जो अभी भी लंबित है।

37. इन्वेंटरी

(क) कार्य आदेश संस्पेस खाते में अपनी परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए थर्ड पार्टियों/सब्सीडरी को जारी इनवेंटरी मदें है जिसमें जनवरी 15 से पहले जारी किए गए 315.2 मिलियन रुपयों की राशि की एक्सपैंडबल मदें सम्मिलित हैं जिनके लिए ओपन वर्क आर्डर सस्पेंस खाते को बंद करने के लिए समाधान की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(ख) दो वर्ष पुरानी 228.9 मिलियन रुपयों की राशि की इनवेंटरी इंटरमीडिएट/सस्पेंस खाते में पड़ी है जिसके समाधान की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(ग) कंपनी के पास से फेज आउट किए गए विमान बेड़े से संबंधित सीएफ 6 इंजनों की 503.3 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 503.7 मिलियन रुपए) की राशि की इनवेंटरी है। चूंकि कंपनी को आशा है कि इन स्पेयर का उपयोग सहायक कंपनी एआइईएसएल द्वारा अन्य विमान प्रकार की मरम्मत तथा थर्ड पार्टी कार्यों के लिए किया जा सकता है अतः इन स्पेयरों के अप्रचलन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं।

(घ) सैप तथा रामको के बीच वर्ष के अंत में इनवेंटरी शेषों के अंतर की 74.8 मिलियन रुपयों की राशि (पिछले वर्ष 63.5 मिलियन रुपए) समाधान के अधीन है।

38. एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ समाधान की स्थिति

(क) विभिन्न एयरपोर्ट प्रचालकों जैसे एएआई, एमआईएएल, डॉयल, सीआईएएल तथा जीएचएआईएल के साथ कुछ प्राप्यों तथा देयों का समाधान प्रगति पर है तथा 31 मार्च 2016 के अनुसार इसकी स्थिति नीचे दी गई है:

क्र सं.	एयरपोर्ट ऑपरेटरों का नाम	एअर इंडिया लि. के अनुसार को 31.3.16 को देय शेष	एयरपोर्ट ऑपरेटर के अनुसार दिनांक 31.3.16 को प्राप्य राशि	31.3.16 के अनुसार अंतर
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	15,514.3	लागू नहीं	–
2.	मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (मॉयल)	3,477.3	3,649.9	(172.6)
3.	दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (डॉयल)	4,878.7	4,978.4	(99.7)
4.	कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (सॉयल)	241.4	242.1	(0.7)
5.	ग्रेटर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (घीयल)	630.0	1507.3	(877.3)

शेषों में अंतर का एक बड़ा कारण विलंबित भुगतान के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटरों का ब्याज का दावा करना है जिसे एअर इंडिया ने अस्वीकार कर दिया, तथापि, जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। अंतर के अन्य कारण लैंडिग एवं पार्किंग प्रभार, ग्राउंड हैंडलिंग रॉयल्टी, स्पेस रेंटल आदि है जो समाधान के अधीन है।

(ख) मॉयल द्वारा एयरपोर्ट क्षेत्र का पुर्ननिर्माण तथा चल रहे विस्तार के कारण मौजूदा परिसर में से एक भाग को छोड़े जाने की एवज में एअर इंडिया को लीज पर दी गई जमीन के रिलोकेशन की प्रक्रिया जारी है। लीज पर दिए गए पूरे परिसर की समीक्षा की जा रही है और क्षतिपूर्ति यदि कोई हो तो उस पर विस्तार कार्य के पूरे होने तथा उसके प्रमाणन और हैंडिंग/टेकिंग ओवर के बाद ही विचार किया जाएगा।

39. सेगमेंट रिपोर्टिंग

क) कंपनी एयरलाइन से संबद्ध व्यापार से जुड़ी है जो उसका एकल मुख्य व्यापार सेगमेंट है। भौगोलिक रूप से क्षेत्रवार अर्जित राजस्व के ब्यौरे (जिस क्षेत्र में बिक्री की गई, उस क्षेत्र में राजस्व आंबटित करके निकाले गए हैं) नीचे दिए गए हैं:–

(रुपए मिलियन में)

	विवरण	2015–16	2014–15
क)	यू एस ए/कनाडा	18,159.9	17,630.9
ख)	यू के/यूरोप	14,572.0	16,191.7
ग)	एशिया (भारत को छोड़कर), अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया	29,154.2	27,999.5
घ)	भारत	1,38,037.2	1,36,195.0
	कुल	**1,99,923.3**	**1,98,017.1**

ख) कंपनी की प्रमुख राजस्व अर्जित करने की परिसंपत्ति उसका विमान बेड़ा है जिसे सुविधानुसार विश्वभर के रूट नेटवर्क पर तैनात किया जाता है। भौगोलिक सेगमेंट के अनुसार व्यय परिसम्पत्तियों और देयताओं के आबंटन का कोई उचित आधार नहीं है। परिणामस्वरूप क्षेत्रवार परिसंपत्तियों और देयताओं का खुलासा नहीं किया गया है।

40. संबंधित पार्टी द्वारा किया गया लेन–देनः

"लेखा मानक (एएस–18) के अनुसार "संबंधित पार्टी लेन–देन का विवरण" नीचे दिया गया हैः

(क) **प्रमुख प्रबंधन कर्मी एवं संबंधीः**
(वित्त वर्ष 2015–16 से 01 अगस्त, 2016 तक)

क्र.सं.	नाम	बोर्ड में पद	पदनाम
1.	श्री अश्वनी लोहानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 अगस्त, 2015 से निदेशक के रूप में नियुक्त)
2.	श्री रोहित नंदन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 अगस्त, 2015 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त)
3.	श्री निखिल कुमार जैन	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक–कार्मिक
4.	श्री पंकज श्रीवास्तव	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक – वाणिज्य
5.	श्री विनोद हेजमाड़ी	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक –वित्त (1 नवम्बर, 2015 से नियुक्त)
6.	श्री एस. वेंकट	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक–वित्त (31 अक्टूबर, 2015 से निदेशक के पद से कार्यमुक्त)
7.	श्री गुरूचरण दास	स्वतंत्र निदेशक	प्रबंधन परामर्शदाता एवं लेखक (28 मई, 2016 से निदेशक के पद से कार्यमुक्त)
8.	डॉ. प्रेम व्रत	स्वतंत्र निदेशक	प्रो. कुलपति एवं प्रोफेसर, आईटीएम यूनिवर्सिटी, गुडगांव (28 मई, 2016 से निदेशक के पद से पदमुक्त)
9.	श्री के.के.नोहवार	स्वतंत्र निदेशक	एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) पीवीएसएम वीएम (28 मई, 2016 से निदेशक के पद से पदमुक्त)
10.	डा. रविन्द्रा एच.ढोलकिया	स्वतंत्र निदेशक	प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद (28 मई, 2016 से निदेशक के पद से पदमुक्त)

क्र.सं.	नाम	बोर्ड में पद	पदनाम
11.	सुश्री रेनूका रामनाथ	स्वतंत्र निदेशक	संस्थापक – मल्टीप्लस ऑल्टरनेट एसेट मैनेज़मैंट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (28 मई, 2016 से निदेशक के पद से पदमुक्त)
12.	सुश्री गार्गी कौल	सरकार द्वारा नामित	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय (6 मई, 2015 से निदेशक के रूप में नियुक्त)
13.	श्री बी एस भुल्लर	सरकार द्वारा नामित	संयुक्त सचिव–नागर विमानन मंत्रालय

वित्त वर्ष 2015–16 तथा अगस्त 2016 तक हुए परिवर्तन

क्र.सं.	नाम	बोर्ड में पद	पदनाम
1.	श्री एस एस मोहंती	सरकार द्वारा नामित	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय (6 मई 2015 को निदेशक पद से पदमुक्त)
2.	श्री रोहित नंदन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 अगस्त, 2015 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त)
3.	श्री एस. वेंकट	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक–वित्त (31 अक्तूबर, 2015 से निदेशक पद से पदमुक्त)
4.	श्री गुरचरण दास	स्वतंत्र निदेशक	प्रबंधन परामर्शदाता एवं लेखक (28 मई, 2016 से निदेशक पद से पदमुक्त)
5.	डॉ. प्रेम व्रत	स्वतंत्र निदेशक	प्रो. कुलपति एवं प्रोफेसर, आईटीएम यूनिवर्सिटी, गुडगांव (28 मई, 2016 से निदेशक पद से पदमुक्त)
6.	श्री के.के.नोहवार	स्वतंत्र निदेशक	एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) पीवीएसएम वीएम (28 मई, 2016 से निदेशक पद से पदमुक्त)
7.	डॉ. रविन्द्रा एच.ढोलकिया	स्वतंत्र निदेशक	प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद (28 मई, 2016 से निदेशक पद से पदमुक्त)
8.	सुश्री रेनूका रामनाथ	स्वतंत्र निदेशक	संस्थापक–मल्टीपल्स अलटरनेट एजेंट मैनेजमैंट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (28 मई, 2016 से निदेशक पद से पदमुक्त)

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ किया गया लेन–देनः

(I) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों के वेतन एवं परिलब्धियों और स्वतंत्र निदेशकों की सिटिंग फीस (दिनांक 19 जुलाई, 2013 को आयोजित एआईएल की 54वीं बोर्ड बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार) को छोड़कर प्रमुख प्रबंध कर्मियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन नहीं किया गया ।

(ii) सामान्य तौर पर एयरलाइन व्यवसाय के लिए एयरलाइन से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने जैसे लेन–देन को उपरोक्त में शामिल नहीं किया गया है ।

क. **संयुक्त कार्य समूह की व्यवस्थाएं :**

क) **<u>बेंगलूरू में मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि0 (एचएएल) के साथ संयुक्त कार्य समूह</u>**

एअर इंडिया द्वारा पूर्व में बेंगलूरू में एचएएल को उपलब्ध कराई जा रही हैंडलिंग क्रियाकलापों को 2014–15 से एआईएटीएसएल को स्थानांतरित कर दिया गया तथा राजस्व की साझेदारी एचएएल तथा एआईएटीएसएल के बीच की जाएगी जिसके लिए दोनों के बीच अनुबंध यथासमय निष्पादित किया जाएगा।

लंबित विवाद के कारण, एचएएल ने, एचएएल–एआई जेडब्ल्यूजी समझौते के तहत सेटलमेंट में से एआई लाभांश के 111.2 मिलियन रुपए (गत वर्ष – 99.6 मिलियन) की राशि के भुगतान को रोक दिया है जिसका प्रावधान किया गया है।

ख) **<u>मैसर्स सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज़ (सैट्स), सिंगापुर के साथ संयुक्त उद्यम</u>**

कुछ एयरपोर्टों पर एयरलाइनों को ग्राउंड हैंडलिंग उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने सैट्स, सिंगापुर के साथ 50:50 के इक्विटी अनुपात पर संयुक्त उद्यम अनुबंध किया है। यह ग्राउंड हैंडलिंग नीति पर भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में है ।

कंपनी के बही खातों के अनुसार, दिनांक 31.3.2016 एआई–सैट्स को देय बकाया राशि 654.2 मिलियन रुपए है (पिछले वर्ष : 644.6 मिलियन रुपए) और एआई सैट्स की ओर से प्राप्त हुए बकाया के पुष्टिकरण के अनुसार निवल देय बकाया राशि 676.0 मिलियन रुपए है (पिछले वर्ष : 636.7 मिलियन रुपए) ।

एआई–सैट्स संयुक्त उद्यम द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर से लाभांश की घोषणा की गई।

एआई–सैट्स संयुक्त उद्यम में कंपनी के शेयर का विवरण नीचे दिया गया है:–

एआई–सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड					**(रुपए मिलियन में)**
क्र.सं.	**विवरण**	**एअर इंडिया शेयर 50%**		**एआई–सैट्स**	
		31.03.16 को	31.03.15 को	31.03.16 को	31.03.15 को
(क)	**परिसंपत्तियां**				
(i)	गैर चालू परिसंपत्तियां				
	स्थायी परिसंपत्तियां	**999.7**	725.5	**1,999.4**	**1,451.0**
	दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम	**478.7**	389.0	**957.4**	**778.0**
(ii)	चालू परिसंपत्तियां	**1,209.2**	992.1	**2,418.4**	**1,984.2**
	कुल	**2,687.6**	**2,106.6**	**5,375.2**	**4,213.2**

एआई–सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड					(रुपए मिलियन में)
क्र.सं.	विवरण	एअर इंडिया शेयर 50%		एआई–सैट्स	
		31.03.16 को	31.03.15 को	31.03.16 को	31.03.15 को
(ख)	**देयताएं**				
	(i) गैर चालू देयताएं	**149.2**	50.1	**298.5**	100.1
	(ii) चालू देयताएं	**1,088.4**	879.9	**2,176.7**	1,759.8
	कुल	**1,237.6**	**930.0**	**2,475.2**	**1,859.9**
(ग)	आकस्मिक देयताएं	**44.2**	43.9	**88.4**	87.9
(घ)	पूंजी प्रतिबद्धताएं	**150.0**	62.5	**300.0**	124.9
(ड़)	आय	**2,851.8**	2,521.8	**5,703.5**	5,043.7
(च)	व्यय (कर हेतु प्रावधान सहित)	**2,578.4**	2,253.7	**5,156.7**	4,507.4
नोट :	**वित्त वर्ष 2015–16 से संबंधित आंकड़ों को लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर संकलित किया गया है।**				

ख वर्ष के अंत तक कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों अथवा उनके रिश्तेदारों पर किसी प्रकार का ऋण या क्रेडिट लेन–देन बकाया नहीं है जिसका कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लेखों में प्रकटीकरण आवश्यक है।

ग कंपनी की राय में, विभिन्न एयरलाइनों, निजी पार्टियों के साथ किए गए समझौते जिन्हें "ज्वाइंट ऑपरेशन/कोड शेयर एग्रीमेंट्स" कहा गया है, लेखा मानक (एएस–18) तथा (एएस–27) में उल्लिखित संयुक्त उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते, इसलिए उन्हें उक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है।

घ कंपनी की सहायक कंपनियां एएस–18 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम हैं और इसलिए कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनियों के साथ किए गए लेन–देन संबंधित पार्टी लेन–देनों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते।

41. **उच्च प्रबंध वर्ग का पारिश्रमिक:**

(रुपये मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	2015–16	2014–15
क)	**अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक**		
	वेतन और भत्ते	**2.1**	2.1
	(इसमें परिलब्धियों का मूल्य 0.02 मिलियन रुपए शामिल है)		
	(पिछले वर्ष : 0.02 मिलियन रुए)		
ख)	**कार्यात्मक निदेशक**		
(i)	वेतन और भत्ते	**11.7**	7.8
	(इसमें परिलब्धियों का मूल्य 0.16 मिलियन रुपए शामिल है।)		
	(पिछले वर्ष : 0.14 मिलियन रुपए)		
(ii)	भविष्य–निधि में अंशदान	**0.7**	0.4

टिप्पणी: भविष्य निधि से इतर सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में, चूंकि इन्हें वैश्विक आधार पर किया गया है, अतः कोई आबंटन नहीं किया गया ।

42. **लीज़**

(क) <u>वित्त लीज़</u>

(क) वित्त लीज़ के अंतर्गत अर्जित विमान बेड़े तथा उपकरणों को एकमुश्त खरीद मान लिया गया है। लीज़ पर ली गई इन परिसंपत्तियों की लागत 183,687.3 मिलियन रुपए (गत वर्ष 192,797.9 मिलियन रुपए) है। दिनांक 31 मार्च, 2016 को भविष्य की लीज़ बाध्यता 92,837.1 मिलियन रुपए (गत वर्ष 102,921.5 मिलियन रुपए) है ।

(ख) भविष्य के न्यूनतम लीज़ किराये पर देयताएं निम्नानुसार हैं :–

(रुपए मिलियन में)

	विवरण	31.3.16 को	31.3.15 को
क)	**ब्याज सहित न्यूनतम लीज़ भुगतान की बकाया राशि**		
	i) एक वर्ष से कम अवधि में	**17,997.9**	16,526.5
	ii) एक वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम अवधि में	**73,014.8**	71,621.2
	iii) पांच वर्ष से अधिक अवधि में	**5,357.6**	18,970.5
	कुल	**96,370.3**	107,118.2
ख)	**उपरोक्त (क) का वर्तमान मूल्य**		
	i) एक वर्ष से कम अवधि में	**16,767.8**	15,346.0
	ii) एक वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम अवधि में	**70,739.8**	68,781.5
	iii) पांच वर्ष से अधिक अवधि में	**5,329.5**	18,794.0
	कुल	**92,837.1**	102,921.5
ग)	**वित्त प्रभार**	**3,533.2**	4,196.7

(ख) **<u>ऑपरेटिंग लीज़</u>**

क) कंपनी ने रद्द न की जा सकने वाली ऑपरेटिंग लीज़ पर 19 विमान (11बी–787, 5ए–320 तथा 3 ए–319) (पिछले वर्ष लीज़ पर 17 विमान 11 बी 787, 2 बी747, 3 ए–319 विमान तथा 1 ए–320) लिए हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 1बी 787–8 विमान (पिछले वर्ष 4बी 787–8) के लिए सेल तथा लीज़ बैक व्यवस्था की है। यह व्यवस्था 12 वर्ष की अवधि के लिए तथा रद्द न की जा सकने वाली ऑपरेटिंग लीज़ पर की गई है। जैसाकि बी787 विमान एक अत्याधुनिक विमान है जिसे वर्ष 2012 के अंत में बोईंग द्वारा विमानन बाजार में लाया गया था, अतः इन विमानों के पुनः विक्रय के लिए कोई सेकेंडरी बाजार उपलब्ध नहीं है। अतः इस सौदे में विक्रय मूल्य जिसका निर्धारण उचित सार्वजनिक

टेंडर पर आधारित था, इन विमानों के उचित बाजार मूल्य को दर्शाता है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार भविष्य का न्यूनतम लीज़ किराया 106,271.3 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 89,075.7 मिलियन रुपए) है।

दिनांक 01 अप्रैल 2001 के बाद अर्जित लीज के लिए भविष्य के न्यूनतम लीज किराए पर देयताएं निम्नानुसार हैं:

(रुपए मिलियन में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
i)	एक वर्ष से कम अवधि में	**11,560.9**	9,113.8
ii)	एक वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम	**46,017.9**	35,485.4
iii)	पांच वर्ष से अधिक अवधि में	**48,692.5**	44,476.5
	कुल	**106,271.3**	**89,075.7**

तथापि, अवधि से पूर्व लीज़ समाप्त करने पर समझौते की शर्तों के अनुसार पट्टाधारी को भुगतान करना अपेक्षित होगा।

आपरेटिंग लीज़ पर लिए गए विमानों के संबंध में 11,738.0 मिलियन रुपए (गत वर्ष 10,982.7 मिलियन रुपए) का लीज़ किराया व्यय, वर्ष के लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है ।

ख) कंपनी ने विभिन्न आवासीय/वाणिज्यिक परिसर रद्द की जा सकने वाली ऑपरेटिंग लीज़ पर लिए हैं। उपर्युक्त में से समाप्त लीज़ संबंधी विवरण संकलित किया जा रहा है।

ग) समापन अनुबंध के संदर्भ में 6 ए320 विमान तथा 2 बी–747 विमानों के सेल तथा लीज बैक (एसएलबी) के लिए पुन डिलीवरी प्रभार का भुगतान 2015–16 (समय से पूर्व लीज समाप्ति के अग्रिम किराए सहित) में किया गया। तकनीकी अनुमानों अर्थात् डिजाइन सर्विस लाइफ के आधार पर विमान की शेष उपयोगी आयु को देखते हुए समाप्त समय आधार के तहत ऋण चुकाया गया।

मिलियन रुपयों में

क्र.सं.	वर्ष	एयरबस विमान	बोईंग विमान
1	2015–16	495.1	729.2
2	2016–17	190.5	729.2
3	2017–18	11.5	729.2

(घ) कंपनी ने वाहनों तथा कार्यालय उपकरणों को भी क्रय के विकल्प के साथ ऑपरेटिंग लीज़ पर लिया है जिनकी हकदारी अन्ततः अंतरित हो भी सकती है और नहीं भी । यह परिसंपत्तियां विभिन्न स्टेशनों पर हैं तथा संचित रूप से बहुत अधिक नहीं हैं । इस संबंध में भावी दायित्वों का पूर्ण विवरण संकलित नहीं किया जा सकता है, चूंकि राशि अधिक नहीं है अतः इसे प्रकट नहीं किया गया है ।

43. सहायक कंपनियां

(क) एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 (एआईएटीएसएल) तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि. (एआईईएसएल)

(i) टर्नअराउंड (टीएपी) में ग्राउंड हैंडलिंग तथा इंजीनियरिंग सर्विसेज बिजनेस को सहायक कंपनियों अर्थात् एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) मे डालने का प्रस्ताव दिया गया।

(ii) वित्त वर्ष के दौरान दो सहायक कंपनियां एआईएटीएसएल तथा एआईईएसएल का प्रचालन प्रारंभ किया गया। एआईएटीएसएल ने 01 अप्रैल, 2014 से अपना लेन–देन स्वतंत्र आधार पर शुरू किया क्योंकि उनको सभी अनुमोदन प्राप्त थे किंतु एआईईएसएल ने अपना प्रचालन 1 जनवरी, 2015 से शुरू किया क्योंकि डीजीसीए प्रमाणन उनको इसी दिन जारी किया गया था। सहायक कंपनियों को सर्विस लेवल क्वालिटी (एसएलए) तथा दी जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान की दर को परिभाषित करते हुए एअर इंडिया ने पृथक अनुबंध किया। इन दरों का निर्धारण बाजार दर को तथा इन सेवाओं पर लगने वाली लागत को ध्यान में रखकर किया गया। एआईएटीएसएल ने अपनी बिलिंग 7 अप्रैल, 2014 से तथा एआईईएसएल ने अपनी बिलिंग 1 जनवरी, 2015 से शुरू की । इन दरों के निर्धारण द्वारा स्वतंत्र लेन–देन के सिद्धांत की गणना की गई। इन दरों की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी ताकि इन्हें बाज़ार दर के अनुरूप किया जाए।

(iii) इन्हें सबसीडरी कंपनी में डालने के पश्चात सभी बड़े व्यय तथा राजस्व (पहचान की सीमा तक) को संबंधित सबसीडरी में वास्तविक आधार पर अंतरित कर दिया गया तथा 596.4 मिलियन रुपयों (गत वर्ष 660.7 मिलियन रुपए) की राशि के कर्मचारी कल्याण व्यय को एअर इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियों अर्थात् एआईईएसएल तथा एआईएटीएसएल के बीच वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर संविभाजित कर दिया गया।

(ख) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0 (एएएसएल)

एआईएल और एएएसएल के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी एएएसएल को व्यापक आधारभूत संरचना और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करा रही है। समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष के दौरान एएएसएल से इस प्रकार की प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक सहायता के लिए हैंडलिंग प्रभार और एटीआर/सीआरजे विमान के आंतरिक अनुरक्षण प्रभार वसूल किए गए हैं। तथापि, दिनांक 31 मार्च, 2016 को एएएसएल से कंपनी द्वारा 10,610.6 मिलियन रुपए (गत वर्षः 10,579.9 मिलियन रुपए) की राशि प्रापण योग्य है जोकि समाधान के अधीन है। वर्ष के दौरान कंपनी ने एएसएसएल की दिए गए 4,000.0 मिलियन रुपयों के अग्रिम को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया।

(ग) एअर इंडिया चार्टर्ड लिमिटेड (एआईसीएल)

31 मार्च, 2016 के अंत में एआईसीएल से बकाया राशि 7,7154.4 मिलियन (पिछले वर्ष 10,527.4 मिलियन) रह गई।

(घ) होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (एचसीआई)

31 मार्च, 2016 के अंत में एचसीएल से बकाया राशि 1,454.9 मिलियन (पिछले वर्ष 1,498.0 मिलियन) रह गई।

(ड़) कंपनी की सहायक कंपनियों के संचित घाटे हैं तथा 31.03.2016 को इन कंपनियों के निवल मूल्य में कमी आई है । तथापि वर्तमान टर्न अराउंड योजना तथा पुनर्संरचना के चलते प्रबंध वर्ग के मतानुसार निवेश मूल्य के ह्रास को स्थायी नहीं माना जा सकता। अतः इस प्रकार के घाटे के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इन सहायक कंपनियों के प्रचालनों की निरंतरता के मद्देनज़र 31.03.2016 को (निवल) बकाया 21,555.6 मिलियन रुपए की राशि के अग्रिमों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया। (गत वर्षः 22,605.3 मिलियन रुपए)।

सहायक कंपनियों के निवल शेष की लंबित पुष्टि/मिलान की राशि 11,524.1 मिलियन रुपए है, वित्तीय विवरण में इसका प्रभाव निश्चित नहीं है। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	रुपए मिलियन में
1	एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसिज़ लिमिटेड	**1,774.7**
2	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लिमिटेड	**10,610.6**
3	एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड	**(861.2)**

एआई–सैट्स से प्राप्त शेष पुष्टि में 21.8 मिलियन रुपयों का निवल अंतर है जो समाधान के अधीन है तथा आवश्यक लेखा समायोजन यथासमय कर लिया जाएगा।

(च) एफआरपी के तहत कंपनी केवल अपनी कार्यशील पूंजी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उधार ले सकती है। तथापि सहायक कंपनियों से देय ऋण के कारण कंपनी को अतिरिक्त राशि का उधार लेना पड़ा जिस कारण अतिरिक्त ब्याज लागत वहन करनी पड़ी। अतः कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज को एआईईएसएल को छोड़कर सहायक कंपनियों में प्रभारित करेगी जो सहायक कंपनियां के वसूल योग्य बकायों शेष के अनुपात में होगी। तद्नुसार वर्ष के दौरान कपंनी ने कंपनी के अन्य राजस्व को क्रेडिट करके सहायक कंपनियों में 2,261.4 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष 2,644.1 मिलियन रुपए) की राशि को डेबिट किया।

44. कर्मचारियों को भुगतान तथा प्रावधान:

(क) 31 दिसंबर, 2006 तक की अवधि के लिए वेतन समझौते हेतु, वास्तविक देयता को अंतिम रूप देने तक तदर्थ आधार पर वेतन बकाया देयताओं में 2,623.8 मिलियन रु. (गत वर्ष 2,091.3 मिलियन रु.) (निवल) की देयता शामिल है।

(ख) पी एस यू पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशानिर्देशों के अनुसार घाटे में चल रहे पी एस यू में कार्यरत कर्मचारियों को कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती। कंपनी को 01 जनवरी, 2007 से घाटा हो रहा है अतः वेतन वृद्धि/समझौते के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

(ग) क्रू यूनियन के साथ नए वेतन समझौते के संदर्भ में उड़ान भत्ते के बकाया के लिए 500.4 मिलियन रुपए का तदर्थ प्रावधान लेखा बहियों में किया जा रहा है।

45. कर्मचारियों को हित लाभ

(क) परिभाषित हित लाभ योजना का सामान्य विवरण

क. उपदान: उपदान भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को अधिवर्षिता, मृत्यु, स्थायी अशक्तता होने पर उपदान देय होता है ।

ख. प्राधिकार छुट्टी का नकदीकरण: सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों तक की प्राधिकार छुट्टी के नकदीकरण के हकदार हैं । तथापि, समाप्ति योग्य प्राधिकार छुट्टी जिन्हें अब से पहले नकदीकरण कराए जाने की अनुमति थी, उस पर दिनांक 31 मार्च, 2015 से रोक लगा दी गई थी (प्रचालनात्मक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर) और कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टियों का उपयोग करना अनिवार्य किया गया। तथापि वित्त वर्ष 2015–16 से सभी श्रेणी के कर्मचारियों की प्राधिकार छुट्टी का नकदीकरण प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए पुनः शुरू कर दिया गया है।

ग. बीमारी की छुट्टी का नकदीकरण: सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 120 दिनों तक की बीमारी की छुट्टी का नकदीकरण इस शर्त पर करा सकते हैं कि कर्मचारी के खाते में उस समय कम से कम 60 दिन की बीमारी की छुट्टी शेष हों। वर्ष के दौरान, यह निर्णय भी लिया गया था कि दिनांक 01.07.2012 को सभी मौजूदा कर्मचारियों के जमा खाते में शेष बीमारी की छुट्टी फ्रीज हो जाएंगी और कर्मचारी केवल सेवानिवृत्ति के समय उन छुट्टियों का नकदीकरण इस शर्त पर करा सकेगा कि उसने सेवानिवृत्ति के समय वे छुट्टियां समाप्त न कर दी हों। इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया कि दिनांक 01.07.2012 के बाद जमा की गई बीमारी की छुट्टियों का नकदीकरण नहीं किया जाएगा और कर्मचारी को वे छुट्टियां लेनी ही होंगी। अन्यथा वह समाप्त हो जाएंगी।

(ख) परिभाषित अंशदायी योजना

कर्मचारी भविष्य निधि :– भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत कंपनी में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट है जो पात्र कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना को नियंत्रित करती है। कंपनी तथा कर्मचारी निधि में पी एफ वेतन का 10 प्रतिशत का अंशदान देते हैं जिसमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट लेखों के साथ कंपनी के लेखों की पुष्टि/मिलान प्रगति पर है।

(ग) परिभाषित हित लाभ योजना–उपदान व सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाएं (अनिधिबद्ध):

लेखांकन मानक–15 के अनुसार घोषणा :–

(रुपए मिलियन में)

विवरण	उपदान				
	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(क) हित लाभ बाध्यता में परिवर्तन हेतु सारणी:					
वर्ष के प्रारंभ में देयता	**6,911.6**	9,456.1	-	-	-
घटाकर: एआईईएसएल/एआईएटीएसएल को अंतरित देयता		2,316.8	-	-	-
वर्ष के प्रारंभ में निवल देयता	**6,911.6**	7,139.3	9,631.3	8,545.1	7,930.2
ब्याज लागत	**547.4**	857.7	770.5	714.3	643.0
वर्तमान सेवा लागत	**219.3**	299.2	335.4	329.4	352.5
पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)		-	-	-	-
प्रदान किए गए हित लाभ	**(1,147.3)**	(836.8)	(1,084.8)	(1,089.6)	(806.3)
बाध्यता में बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(340.4)**	(547.8)	(196.3)	1,132.1	425.7
वर्ष के अंत में देयता	**6,190.6**	6,911.6	9,456.1	9,631.3	8,545.1
(ख) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य हेतु सारणी:					
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों का अनुमानित प्रतिफल	**-**	-	-	-	-
अंशदान	**1,147.3**	836.8	1,084.8	1,089.6	806.3
प्रदान किए गए हित लाभ	**(1,147.3)**	(836.8)	(1,084.8)	(1,089.6)	(806.3)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-	
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**0.0**	0.0	0.0	0.0	0.0
(ग) बीमांकिक (लाभ)/हानि की स्वीकृति सारणी:					
अवधि हेतु बाध्यता में बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(340.4)**	(547.8)	(196.3)	1,132.1	425.7
अवधि हेतु परिसंपत्तियों की बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-	-	-	-
लाभ–हानि खाते में दर्शाए गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(340.4)**	(547.8)	(196.3)	1,132.1	425.7

विवरण	उपदान				
	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(घ) तुलन पत्र में दर्शाई गई राशिः					
वर्ष के अंत में देयता	**6,190.6**	6,911.6	9,456.1	9,631.3	8,545.1
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि	**6,190.6**	6,911.6	9,456.1	9,631.3	8,545.1
(ड़) लाभ तथा हानि खाते में दर्शाए गए व्ययः					
वर्तमान सेवा लागत	**219.3**	299.2	335.4	329.4	352.5
ब्याज लागत	**547.4**	857.7	770.5	714.3	643.0
योजना परिसंपत्तियों का अनुमानित प्रतिफल	**-**	-	-	-	-
स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(340.4)**	(547.8)	(196.3)	1,132.1	425.7
पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	**-**	-	-	-	-
लाभ–हानि खाते में दर्शाए गए व्यय	**426.3**	609.1	909.6	2,175.8	1,421.2
(च) तुलन पत्र समाधानः					
प्रारंभिक निवल देयता	**6,911.6**	7,139.3	9,631.3	8,545.1	7,930.2
उपरोक्तानुसार व्यय	**426.3**	609.1	909.6	2,175.8	1,421.2
प्रदत्त लाभ	**(1,147.3)**	(836.8)	(1,084.8)	(1,089.6)	(806.3)
लाभ–हानि खाते में दर्शाई गई निवल देयता/परिसंपत्तियां	**6,190.6**	6,911.6	9,456.1	9,631.3	8,545.1
(छ) वर्ष का पूर्वानुमानित बीमांकिकः					
छूट की दर	**7.92%**	9.07%	9.29%	8.00%	8.25%
वेतन वृद्धि दर	**5.50%**	5.50%	5.50%	5.50%	4.00%
चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति दर					
एट्रीशन दर	**2.00%**	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

(Rupees in Million)

विवरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ				
	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(क) हित लाभ बाध्यता में परिवर्तन हेतु सारणी:					
वर्ष के प्रारंभ में देयता	**2,578.4**	2,078.0	-	-	-
घटाकरः एआईईएसएल/एआईएटीएसएल को अंतरित देयता	**-**	-	-	-	-
वर्ष के प्रारंभ में निवल देयता	**2,578.4**	2,078.0	1,795.0	1,611.1	1,572.6
ब्याज लागत	**350.0**	500.4	143.6	132.9	127.3
वर्तमान सेवा लागत	**-**	-	552.6	490.1	361.2
पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	**-**	-	-	-	-
प्रदान किए गए हित लाभ	**(1.5)**	-	(434.9)	(356.4)	(312.8)
बाध्यता में बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-	21.7	(82.7)	(137.2)
वर्ष के अंत में देयत	**2,926.9**	2,578.4	2,078.0	1,795.0	1,611.1
(ख) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य हेतु सारणीः					
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों का अनुमानित प्रतिफल	**-**	-	-	-	-
अंशदान	**1.5**	-	434.9	356.4	312.8
प्रदान किए गए हित लाभ	**(1.5)**	-	(434.9)	(356.4)	(312.8)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-	-	-	-

विवरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ				
	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(ग) बीमांकिक (लाभ)/हानि की स्वीकृति सारणी:					
अवधि हेतु बाध्यता में बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-	21.7	(82.7)	(137.2)
अवधि हेतु परिसंपत्तियों की बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-	21.7	(82.7)	(137.2)
(घ) तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि:					
वर्ष के अंत में देयता	**2,926.9**	2,578.4	2,078.0	1,795.0	1,611.1
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि	**2,926.9**	2,578.4	2,078.0	1,795.0	1,611.1
(ड़) लाभ तथा हानि खाते में दर्शाए गए व्यय:					
वर्तमान सेवा लागत	**-**	-	552.6	490.1	361.2
ब्याज लागत	**350.0**	500.4	143.6	132.9	127.3
योजना परिसंपत्तियों का अनुमानित प्रतिफल	**-**	-	-	-	-
स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-	21.7	(82.7)	(137.2)
पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	**-**	-	-	-	-
लाभ–हानि खाते में दर्शाए गए व्यय	**350.0**	500.4	717.9	540.3	351.3
(च) तुलन पत्र समाधान:					
प्रारंभिक निवल देयता	**2,578.4**	2,078.0	1,795.0	1,611.1	1,572.6
उपरोक्तानुसार व्यय	**350.0**	500.4	717.9	540.3	351.3
प्रदत्त लाभ	**(1.5)**	-	(434.9)	(356.4)	(312.8)
लाभ–हानि खाते में दर्शाई गई निवल देयता/परिसंपत्तियां	**2,926.9**	2,578.4	2,078.0	1,795.0	1,611.1
(छ) वर्ष का पूर्वानुमानित बीमांकिक:					
छूट की दर			9.26%	8.00%	8.25%
वेतन वृद्धि दर					
चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति दर			5.50%	5.50%	4.00%
एट्रीशन दर			2.00%	2.00%	2.00%

(क) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ के आंकड़े नहीं होने के कारण(योजना के संशोधन के पश्चात अर्थात् चिकित्सा लाभ के लिए अंशदान में वृद्धि हेतु) कंपनी ने 350.0 मिलियन रुपए (गत वर्ष 500.0 मिलियन रुपए) रुपयों के प्रावधान का निर्णय लिया जब तक :

I) पर्याप्त आंकडे एकत्रित किए जाएं।

ii) यथासमय बीमांकिक मूल्यांकन किया गया हो तथा

iii) कर्मचारियों के सहायक कंपनियों में स्थानांतरण का प्रभाव स्थापित किया गया हो।

(ख) जिन कर्मचारियों के लिए कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2016 के अनुसार जेडीसी सिफारिशें लागू की गई है उन कर्मचारियों के संशोधित वेतन ढांचे के आधार पर उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान किया गया। तथापि उपदान के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या के समाधान का कार्य प्रगति पर है। पायलट, केबिन क्रू तथा सेवा इंजीनियर आदि श्रेणियां जिनकी सिफारिशें अभी कार्यान्वित की जानी है उनकी बीमांकिक देयता पुराने वेतन ढांचे के आधार पर उपलब्ध कराई गई क्योंकि उसका प्रभाव निश्चित नहीं किया जा सका।

46. मुकदमेबाजी

क) वर्ष के दौरान कंपनी ने एन्टीट्रस्ट लीटीगेस्टन मामले को 12.5 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात् 857.8 मिलियन रुपयों की क्षतिपूर्ति की एवज में कोर्ट के बाहर निबटा दिया है जिसका भुगतान जून के अंत में तथा अगस्त 2016 के प्रारंभ में दो किश्तों से कर दिया गया है। इस राशि को वर्ष 2015–16 के लिए लेखा बही में पहले ही दर्ज कर लिया गया है।

ख) मैसर्स डायनैमिक एयरवेज जिसने 2014 के हज प्रचालनों के लिए एअर इंडिया को हज ऑपरेटर आउटसोर्स किये थे, ने एअर इंडिया के विरूद्ध मामला दायर किया है जो माध्यस्थम के लिए भेजा गया है। माध्यस्थम कार्यवाही वर्तमान में नई दिल्ली में की जा रही है। एअर इंडिया ने जेहदाह जाने वाले हज तीर्थ यात्रियों को ले जाने के लिए मैसर्स डायनेमिक एयरवेज के साथ किए गए कान्ट्रेक्ट के उल्लंघन के लिए मैसर्स डायनैमिक एयरवेज के विरूद्ध काउंटर दावा फाइल किया है। इस मुकदमेबाजी के कारण कंपनी की कोई देयता नहीं है क्योंकि ऑपरेटर क्षति के भुगतान का उत्तरदायी है। विमान बेड़े के ग्राउंड हो जाने के कारण एअर इंडिया को प्रचालन के लिए अपने विमान तैनात करने पड़े थे।

47. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकृति केवल आस्थगित कर देयता के स्तर तक ही निम्नानुसार की गई:

(रुपए मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.16 को लेखों में स्वीकृत	डीटीए/डीटीएल स्वीकृत (2015–16)	31.03.16 को कुल डीटीए
(क)	**आस्थगित कर देयता**			
	(i) स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित	64,737.6	(15,004.7)	49,732.9
	(ii) एफसीएमआई लेखों से संबंधित	1,070.7	74.6	1,145.3
	उप–जोड़ (क)	**65,808.3**	**(14,930.1)**	**50,878.2**
(ख)	**आस्थगित कर परिसंपत्तियां**			
	(i) असमाहित मूल्यह्रास	57,558.6	(14,930.1)	42,628.5
	(ii) व्यावसायिक हानि	32,127.9		32,127.9
	(iii) आयकर अधिनियम के तहत अन्य अस्वीकृतियां	4,547.0		4,547.0
	उप–जोड़ (ख)	**94,233.5**	**(14,930.1)**	**79,303.4**
	आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) निवल	**28425.2**	–	**28,425.2**

कंपनी की टर्न अराउंड योजना के अनुसार, भारत सरकार द्वारा एनसीडी पर ब्याज की प्रतिपूर्ति जिसमें 67,500.0 मिलियन रुपए की अपफ्रंट इक्विटी इनफ्यूज़न, 45,520.0 मिलियन रुपए (वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2021) के नगदी घाटे को फंड करने के लिए इक्विटी इनफ्यूज़न, 189,290.0 मिलियन रुपए के गारंटीकृत विमान ऋण वित्त वर्ष 2021 के लिए इक्विटी सम्मिलित है, के अतिरिक्त 2021 तक 302,310.0 मिलियन रुपए की इक्विटी जारी करने का अनुमोदन दिया गया।

भारत सरकार ने एफआरपी/टीएपी के तहत 31.03.16 तक 222,800.0 मिलियन रुपए की इक्विटी लगाई है तथा इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 17,130.0 मिलियन रुपए की राशि देने का प्रस्ताव है जिसमें से 30 सितम्बर, 16 तक 16,070.0 मिलियन रुपए पहले ही दिए जा चुके है। उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप एआई ने 2012–13 से इबीआईटीडीए सकारात्मक स्थिति प्राप्त की तथा 2018–19 में कैश पाजिटिव तथा 2021–22 में पीएटी पाजिटिव होने की संभावना है। इसको देखते हुए कंपनी को आशा है कि भावी कर योग्य लाभ में निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समायोजन कर लिया जाएगा। साथ ही आईटी अधिनियम के अंतर्गत बिजनेस हानि तथा अन्य अस्वीकृतियों के तहत सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियां अभी भी कंपनी के पास है तथा समाप्त नहीं हुई हैं।

कंपनी ने एसबीआई कैप्स के परामर्श से संशोधित टर्नअराउंड योजना तैयार की है जिस पर बोर्ड ने अनुमोदन दे दिया है। एअर इंडिया के प्रचालन निष्पादन में सुधार तथा परिवर्तित विमानन परिदृश्य जैसे ईधन मूल्य में कमी, विनिमय दर में स्थिरता आदि के कारण कंपनी मूल टर्नअराउंड योजना के तहत निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा को कम करने के लिए उपाय कर रही है। मूल टर्नअराउंड योजना में निर्धारित माइल स्टोन की तुलना में नकद लाभ तथा कर पूर्व लाभ के लक्ष्यों की प्राप्ति दो वर्ष पहले हो गई है।

48. प्रति शेयर आय :

(रुपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
कर के पश्चात् तथा असाधारण मदों के पूर्व लाभ/(हानि)	(37,579.0)	(59,058.4)
घटा : असाधारण मदें	788.8	(459.3)
कर तथा असाधारण मदों के पश्चात् लाभ/(हानि)	(38,367.8)	(58,599.1)
इक्विटी शेयरों की वेटेड एवरेज संख्या	17,213,490,411	16705019178
ईपीएस बेसिक व डाइल्यूटेड		
क) असाधारण मदों से पहले (प्रति शेयर रुपए में)	(2.18)	(3.54)
ख) असाधारण मदों के पश्चात् (प्रति शेयर रुपए में)	(2.23)	(3.51)

49. सूक्ष्म एवं छोटे उद्यम विकास अधिनियम

सूक्ष्म एवं छोटें उद्यमों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथा एसएपी में मास्टर्स को अद्यतन/संकलन करने की प्रक्रिया जारी है। तथापि, सूक्ष्म एवं छोटे विकास अधिनियम के तहत आने वाले ऐसे उपक्रमों को (स्वीकृत किए गए स्तर तक का) भुगतान सप्लायर की स्वीकृति से निर्धारित समय सीमा/तिथि के भीतर किया गया है और इसलिए विलंबित भुगतानों के लिए कोई ब्याज देय नहीं है। अन्य मामलों में, आवश्यक अनुपालन/प्रकटीकरण नियत अवधि में सुनिश्चित किया जाएगा ।

50. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिकः

लेखा–परीक्षा शुल्क और व्ययों का विवरण निम्नानुसार है :

(रुपये मिलियन में)

विवरण	2015–16	2014–15
लेखा परीक्षा शुल्क – वर्ष के लिए	9.0	7.5
लेखा परीक्षा शुल्क – पिछले वर्ष	1.5	–
आउट ऑफ पाकेट व्यय (*)	1.4	4.8
कुल	**11.9**	**12.3**

*(भुगतान आधार पर लेखाबद्ध)

51. गोइंग कन्सर्न

अपने प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कंपनी ने एक टीएपी तैयार किया है जो कंपनी के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दोनों प्रकार के टर्न अराउंड के लिए आवश्यक है। टीएपी जिसकी जांच स्वतंत्र रूप से परामर्शदाता द्वारा की गई है, पर कंपनी के अनुमानों के आधार पर एक एफआरपी तैयार किया गया है और उसे 01 अक्तूबर, 2011 से लागू किया गया है। इसमें अनुमानित नकदी प्रवाह के अनुसार कंपनी के ऋणों के पुनर्भुगतान का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता और अपनी प्रचालन और वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण भविष्य में कंपनी की वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार ने 33,000.0 मिलियन रुपयों की इक्विटी प्रदान की है। अतः 31 मार्च, 2016 के अनुसार एफआरपी के तहत कुल 222,800.8 मिलियन रुपयों की कुल इक्विटी प्रदान की गई।

कंपनी ने सभी प्रचालनात्मक/वित्तीय निष्पादन जैसे सीट घटक, यात्री वहन, विमान उपयोग आदि में सुधार किया है, साथ ही वर्ष के दौरान ईंधन मूल्यों में भी कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्त वर्ष 2014–15 में 26,361.9 मिलियन रुपयों प्रचालन हानि की तुलना में वित्त वर्ष 2015–16 में 1,050.0 मिलियन रुपयों का प्रचालन लाभ की गणना की गई है। कुल राजस्व (अन्य आय को छोड़कर) में से कुल व्यय (वित्तीय लागत को छोड़कर) को घटाकर प्रचालन लाभ की गणना की गई। कंपनी को 2007–08 में विलय के बाद से पहली बार प्रचालन लाभ गणना की गई तथा यह टीएपी/एफआरपी में निर्धारित समय सीमा की तुलना में दो वर्ष पूर्व ही यह उपलब्धि हासिल की जा सकी है। अप्रत्याक्षित परिस्थितियों को छोड़कर कंपनी को टीएपी में अपेक्षित समय से पूर्व ही नकद सकारात्मक होने की आशा है। अतः लेखों को ''गोइंग कन्सर्न'' आधार पर तैयार किया जा रहा है।

एअर इंडिया द्वारा निष्पादन में हुए सुधार तथा विमानन परिदृश्य जैसे ईंधन दर, विनिमय दर वैविध्य आदि में बदलाव को देखते हुए एसबीआई कैपस् को एअर इंडिया के लिए संशोधित टर्नअराउंड योजना तैयार करने को कहा गया। इस संशोधित टर्नअराउंड योजना को कपंनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया तथा इसे बोर्ड द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया। संशोधित टीएपी के अनुसार, एअर इंडिया मूल टीएपी में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में सुधार करने का प्रयास कर रही है तथा लाभप्रदता का लक्ष्य दो वर्ष पूर्व कर दिया गया है। नकद लाभ के लक्ष्य को वित्त वर्ष 2020 की बजाए वित्त वर्ष 2018 में प्राप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है और इसी प्रकार कर पूर्व लाभ (पीबीटी) को वित्त वर्ष 2022 के बजाए वित्त वर्ष 2019 में ही प्राप्त करना रखा गया है।

52. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनूसूची ।।। के अनुच्छेद 5 (viii) (क), (ख), (ग) तथा (ड.) के उपबंधो के संबंध में लाभ–हानि खाते तथा तुलन पत्र का मांग के रूप में संलग्न लेखा टिप्पणी के लिए अपेक्षित खुलासे के अनुपालन में छूट प्राप्त करने के लिए निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) को लिखा है।

53. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया वहां, संकलन की व्यवहारिकता और उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनूसूची III के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए, री–ग्रुप/री–अरेंज कर दिया गया है।

तुलन पत्र तथा लाभ–हानि खातों के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियों तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के लिए हस्ताक्षर ।

बोर्ड के लिए एवं की ओर से

कृते तथा की ओर से
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
एफआरएन : 000038एन

हस्ता./-
(वी.राजारमण)
पार्टनर
सदस्यता सं. 02705

कृते तथा की ओर से
सारदा एंड परीक
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
एफआरएन : 109262डब्ल्यू

हस्ता./-
(गौरव सारदा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 110208

कृते तथा की ओर से
वर्मा एण्ड वर्मा
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
एफआरएन : 004532एस

हस्ता./-
(के. एम. सुकुमारन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 015707

बोर्ड के लिए तथा की ओर से
हस्ता./-
अश्वनी लोहानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
(वी.एस. हेजमाडी)
निदेशक–वित्त

हस्ता./-
कल्पना राव
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अक्टूबर, 2016